इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2012—ज्येष्ठ 25, शक 1934

# भाग ४

### विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

## भाग ४ ( क )—कुछ नहीं

## भाग ४ ( ख )

## संसद् के अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र. 3053-क/21-अ/वि.स./2012 भोपाल, दिनांक 15-6-2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLIV संख्यांक 4 में दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 को प्रकाशित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 41) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा, पुन: प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
**( एस. के. श्रीवास्तव )**
उप सचिव
म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

# लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 41)

[22 दिसम्बर, 2009]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

## प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2

## लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन

धारा 24 का संशोधन।

1950 का 43

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 में,—

(i) खंड (क) में "मुख्य निर्वाचन आफिसर" शब्दों के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) खंड (क) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आफिसर को होगी।"।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

1950 का 43

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, मिजोरम राज्य से संबंधित क्रम संख्यांक 18 के सामने स्तंभ 7 में की प्रविष्टि "38" के स्थान पर प्रविष्टि "39" रखी जाएगी।

अध्याय 3

## लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन

धारा 8क का संशोधन।

1951 का 43

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), धारा 8क की उपधारा (1) में, "उस आदेश के प्रभावशील होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र," शब्दों के स्थान पर, "ऐसे आदेश के प्रभावशील होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर यथाशक्य शीघ्र," शब्द रखे जाएंगे।

धारा 34 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "दस हजार रुपए की राशि, अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां पांच हजार रुपए की राशि" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस हजार रुपए की राशि अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां बारह हजार पांच सौ रुपए की राशि" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "पांच हजार रुपए की राशि, अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां दो हजार पांच सौ रुपए की राशि" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार

रुपए की राशि अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां पांच हजार रुपए की राशि" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 123 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 123 के खंड (7) में,—

(i) "सरकार की सेवा में के" शब्दों के स्थान पर, "किसी व्यक्ति से, चाहे वह सरकार की सेवा में हो या नहीं" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ज) निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनी या संस्था या समुत्थान या उपक्रम की सेवा में नियुक्त या प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के वर्ग:"।

नई धारा 126क और धारा 126ख का अंत:स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 126 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम आदि के प्रकाशन और प्रसारण पर निर्बंधन।

"126क. (1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात्:—

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी:

परन्तु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए:—

(क) "निर्गम मत सर्वेक्षण" से वह राय सर्वेक्षण अभिप्रेत है जो इस संबंध में है कि निर्वाचकों ने कैसे किसी निर्वाचन में मतदान किया या इस संबंध में है कि किसी निर्वाचन में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी की पहचान सभी मतदाताओं ने कैसे की है;

(ख) "इलेक्ट्रानिक मीडिया" के अन्तर्गत इंटरनेट, रेडियो और टेलीविजन भी हैं, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकाल टेलीविजन, सेटेलाइट, क्षेत्रीय या केबल चैनल, मोबाइल और ऐसा अन्य मीडिया सम्मिलित है जो सरकार के या निजी व्यक्ति अथवा दोनों के स्वामित्वाधीन है;

(ग) "प्रिंट मीडिया" के अंतर्गत कोई समाचारपत्र, पत्रिका या नियतकालिक पत्रिका, पोस्टर, प्लेकार्ड, हैंडबिल या कोई अन्य दस्तावेज भी हैं;

(घ) "प्रसार" के अन्तर्गत किसी "प्रिंट मीडिया" में प्रकाशन या किसी इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारण या प्रदर्शन भी है।

कंपनियों द्वारा अपराध।

126ख. (1) जहां धारा 126क की उपधारा (2) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के

संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी है; और

(ख) "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।"।

---

क्रमांक 3053–क/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLIV संख्यांक 4 में दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 को प्रकाशित **कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 45)** का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 45)

[22 दिसम्बर, 2009]

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1923 का 8

बृहत् नाम का संशोधन।

2. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के बृहत् नाम में ''कर्मकारों'', शब्द के स्थान पर, ''कर्मचारियों'', शब्द रखा जाएगा।

उद्देशिका का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की, उद्देशिका में, ''कर्मकारों'' शब्द के स्थान पर ''कर्मचारियों'' शब्द रखा जाएगा।

धारा 1 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, ''कर्मकार'' शब्द के स्थान पर ''कर्मचारी'' शब्द रखा जाएगा।

कतिपय अभिव्यक्तियों के प्रतिनिर्देशों के स्थान पर कतिपय अन्य अभिव्यक्तियों का प्रतिस्थापन।

5. सम्पूर्ण मूल अधिनियम में, ''कर्मकार'' और ''कर्मकारों'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमश: ''कर्मचारी'' और ''कर्मचारियों'' शब्द रखे जाएंगे और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन भी किए जाएंगे, जो व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हों।

धारा 2 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घघ) ''कर्मचारी'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो,—

1989 का 24

(i) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (34) में यथापरिभाषित ऐसा रेल कर्मचारी है, जो किसी रेल के किसी प्रशासनिक जिला या उपखंड कार्यालय में स्थायी रूप से नियोजित नहीं है और किसी ऐसी हैसियत में नियोजित नहीं है, जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है ; अथवा

(ii)(क) किसी पोत का मास्टर, नाविक या कर्मीदल का अन्य सदस्य है;

(ख) किसी वायुयान का केप्टन या कर्मीदल का अन्य सदस्य है;

(ग) किसी मोटर यान के संबंध में ड्राईवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर के रूप में या किसी अन्य हैसियत में भर्ती किया गया व्यक्ति है;

(घ) ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी कंपनी द्वारा विदेश में काम करने के लिए भर्ती किया जाता है,

और जो भारत के बाहर किसी ऐसी हैसियत में जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है नियोजित है, और, यथास्थिति, ऐसा पोत, वायुयान या मोटर यान अथवा कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है, अथवा

(iii) किसी ऐसी हैसियत में नियोजित है, जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है, चाहे नियोजन की संविदा इस अधिनियम के पारित किए जाने से पहले या उसके पश्चात् की गई थी और

चाहे ऐसी संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित हो, मौखिक या लिखित में हो; किंतु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जो संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य की हैसियत में कार्य कर रहा है और किसी कर्मचारी के प्रति निर्देश में, जो आहत हो गया हो, जहां कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, उसके आश्रितों या उनमें से किसी के प्रति निर्देश सम्मिलित है;';

(ii) खंड (ढ) का लोप किया जाएगा।

धारा 4 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, ''अस्सी हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख बीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, ''नब्बे हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख चालीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित प्रतिकर की रकम में वृद्धि कर सकेगी।'';

(iv) खंड (ख) के पश्चात्, स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1ख) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी के संबंध में ऐसी मासिक मजदूरी विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।'';

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) कर्मचारी को नियोजन के दौरान कारित क्षतियों के उपचार के लिए उसके द्वारा उपगत वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।'';

(घ) उपधारा (4) में,—

(अ) ''दो हजार पांच सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच हजार रुपए से अन्यून'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर इस उपधारा में विनिर्दिष्ट रकम में वृद्धि कर सकेगी।''।

धारा 20 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) में, ''किसी भी व्यक्ति को'' शब्दों के पश्चात्, ''जो राज्य न्यायिक सेवा का पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए सदस्य है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अधिवक्ता या प्लीडर है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए ऐसा राजपत्रित अधिकारी है या रहा है, जो कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंधों में शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 25क का अंत:स्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

प्रतिकर से संबंधित विषयों के निपटान के लिए समय सीमा।

''25क. आयुक्त, निर्देश की तारीख से, तीन मास की अवधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर से संबंधित मामले का निपटान करेगा और कर्मचारी को उक्त अवधि के भीतर उसके संबंध में विनिश्चय के बारे में सूचित करेगा।''।

अनुसूची 2 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में,—

(i) "धारा 2(1)(ढ)" शब्द, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "धारा 2(1)(घघ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) मद (i) में "लिपिकीय हैसियत में या रेल में नियोजित होने से अन्यथा" शब्दों के स्थान पर "रेल में नियोजित" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) मद (ii) में, "लिपिकीय हैसियत में नियोजित होने से अन्यथा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) मद (iii) में, "जिसमें या जिसकी प्रसीमाओं के अंदर बीस या अधिक व्यक्ति ऐसे नियोजित हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(v) मद (v) में, "जो लिपिकीय काम से भिन्न हो", शब्दों का लोप किया जाएगा;

(vi) मद (vi) में,—

(क) खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ग) में "और उपखंड (ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(vii) मद (x) में, "लिपिकीय हैसियत से भिन्न हैसियत में," शब्दों का लोप किया जाएगा;

(viii) मद (xiv) में, "लिपिकीय हैसियत से भिन्न हैसियत में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ix) मद (xvi) में, "जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन पच्चीस से अधिक व्यक्ति नियोजित रहे हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(x) मद (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(xviii) किसी भू-संपदा में नियोजित, जिसका अनुरक्षण इलायची, सिनकोना, कॉफी, रबड़ या चाय उगाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है; या";

(xi) मद (xix) में, "लिपिकीय हैसियत से भिन्न हैसियत में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xii) मद (xxvi) में,—

(क) खंड (क) में, "और जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी एक दिन दस या अधिक व्यक्ति इस प्रकार नियोजित रहे हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) में, "जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन पचास या अधिक व्यक्ति इस प्रकार नियोजित रहे हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xiii) मद (xxx) में, "लिपिकीय हैसियत से भिन्न हैसियत में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xiv) मद (xl) और मद (xli) में, "जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास के किसी एक दिन पच्चीस से अधिक व्यक्ति नियोजित रहे हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xv) मद (xlix) के पश्चात् अंत में, आने वाले स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

क्रमांक 3053–क/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLIV संख्यांक 4 में दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 को प्रकाशित नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 3) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009

**(2010 का अधिनियम संख्यांक 3)**

[21 जनवरी, 2010]

**नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

1968 का 27

धारा 2 का संशोधन।

2. नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 2 में,–

(i) खंड (क) में, "पश्चात् किए जाएं" शब्दों के पश्चात् "या ऐसा कोई उपाय है जो किसी आपदा के पूर्व, दौरान, समय या उसके पश्चात् आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किया गया है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

2005 का 53

'(छ) "आपदा" से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई आपदा अभिप्रेत है;

2005 का 53

(ज) "आपदा प्रबंधन" से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ङ) में यथापरिभाषित आपदा प्रबंधन अभिप्रेत है।'।

क्रमांक 3053–क/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLIV संख्यांक 4 में दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 को प्रकाशित उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 15)

[17 मई, 2010]

उपदान संदाय अधिनियम, 1972
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1972 के अधिनियम 39 की धारा 4 का संशोधन।

2. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) में, "तीन लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

क्रमांक 3053–क/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLIV संख्यांक 4 में दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 को प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 18) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 18)

[24मई, 2010]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) धारा 18, 3 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 1 का संशोधन।

1948 का 34

2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (5) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "एक मास" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(अ) खंड (6क) में,—

(क) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) विधवा, धर्मज या दत्तक पुत्र, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, अविवाहिता धर्मज या दत्तक पुत्री;";

(ख) उपखंड (ii) में, "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (9) में, "या स्थापन के स्थायी आदेशों के अधीन रखा गया शिक्षु नहीं है" शब्दों के स्थान पर "रखा गया शिक्षु नहीं है और इसके अंतर्गत शिक्षु के रूप में लगा हुआ ऐसा व्यक्ति भी है, जिसकी प्रशिक्षण अवधि किसी समय काल तक विस्तारित की गई है" शब्द रखे जाएंगे;

(इ) खंड (11) में, उपंखड (v) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(v) आश्रित माता-पिता जिनकी सभी स्रोतों से आय ऐसी आय से अधिक नहीं होती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए;

(vi) यदि बीमाकृत व्यक्ति अविवाहित है और उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं तो बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्ण रूप से आश्रित अवयस्क भाई या बहिन;";

(ई) खंड (12) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(12) "कारखाना" से ऐसा कोई परिसर अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उसकी ऐसी प्रसीमाएं भी हैं, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे और जिसके किसी भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है या

1952 का 35

मामूली तौर से इस प्रकार की जाती है किन्तु इसके अंतर्गत कोई खान, जो खान अधिनियम, 1952 के प्रवर्तन के अधीन है, या रेल इंजन शेड नहीं है;'।

धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक, पदेन, अध्यक्ष;

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पदेन, सह-अध्यक्ष;"।

धारा 12 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जैसे ही, धारा 4 के खंड (झ) में निर्दिष्ट व्यक्ति, मंत्री या लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा का उपसभापति बन जाता है अथवा जब वह संसद् का सदस्य नहीं रहता है, सदस्य नहीं रहेगा।"।

धारा 17 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (क) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि यह उपधारा विभिन्न क्षेत्रों में संविदा के आधार पर नियुक्त परामर्शियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति को लागू नहीं होगी।"।

धारा 37 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 37 में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 45 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 45 में,—

(क) "निरीक्षक" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "सामाजिक सुरक्षा अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अधिकारी किसी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की शुद्धता और क्वालिटी का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए धारा 44 के अधीन प्रस्तुत किए गए अभिलेखों और विवरणियों का पुन:निरीक्षण या परीक्षण निरीक्षण कर सकेगा।"।

धारा 45क का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 45क की उपधारा (1) में,—

(i) "निरीक्षक" शब्द के स्थान पर, "सामाजिक सुरक्षा अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि निगम द्वारा उस तारीख से जिसको अभिदाय शोध्य हो जाएगा, पांच वर्ष से परे की अवधि की बाबत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।"।

नई धारा 45कक का अंत:स्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 45क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अपील प्राधिकारी।

"45कक. यदि कोई नियोजक धारा 45क में निर्दिष्ट आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर इस प्रकार आदेशित अभिदाय का या अपने स्वयं के परिकलन के अनुसार अभिदाय का, इनमें से जो भी अधिक हो, पच्चीस प्रतिशत निगम के पास जमा करने के पश्चात्, विनियमों द्वारा यथा उपबंधित अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा:

परंतु यदि नियोजक अंतिम रूप से अपील में सफल हो जाता है तो निगम ऐसे जमा को नियोजक को ऐसे ब्याज के साथ वापस करेगा जो विनियम में विनिर्दिष्ट किया जाए।"।

धारा 51क और धारा 51ख का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 51क और धारा 51ख में, "बीमाकृत व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "कर्मचारी" शब्द रखा जाएगा।

धारा 51ग और धारा 51घ का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 51ग और धारा 51घ में, ''बीमाकृत व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर, ''कर्मचारी'' शब्द रखा जाएगा।

नई धारा 51ङ का अंत:स्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 51घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

काम के स्थान पर आते समय और वापस जाते समय होने वाली दुर्घटनाएं।

''51ङ. किसी कर्मचारी के साथ, कर्तव्य के लिए उसके निवास से नियोजन के स्थान तक आते समय या कर्तव्य पालन करने के पश्चात् नियोजन के स्थान से उसके निवास तक जाते समय होने वाली किसी दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह नियोजन के अनुक्रम में हुई है यदि उन परिस्थितियों, समय और स्थान, जिन पर दुर्घटना हुई है और नियोजन के बीच संबंध स्थापित हो जाता है।''।

धारा 56 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (3) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि कोई ऐसा बीमाकृत व्यक्ति जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त हो जाता है या समयपूर्व सेवानिवृत्ति ले लेता है और उसकी पत्नी या उसका पति अभिदाय के संदाय और ऐसी अन्य शर्तों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, अधीन रहते हुए, चिकित्सा-प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे।''।

धारा 58 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(5) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन निगम के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बीमारी, प्रसूति और नियोजन क्षति की दशा में कर्मचारियों के लिए कतिपय फायदों का उपबंध करने के लिए ऐसे संगठन (चाहे जिस नाम से ज्ञात) की स्थापना कर सकेगी:

परंतु अधिनियम में राज्य सरकार के प्रति किसी निर्देश में, जब कभी ऐसा संगठन राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, उस संगठन के प्रति निर्देश भी सम्मिलित होगा।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट संगठन की संरचना ऐसी होगी और वह ऐसे कृत्यों का निर्वहन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे क्रियाकलाप करेगा, जो विहित किए जाएं।''।

धारा 59 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 59 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(3) निगम बीमाकृत व्यक्तियों को और जहां ऐसी चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए भी विस्तारित की गई है, वहां उनके कुटुंबों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध किए जाने के बारे में तृतीय पक्ष की भागीदारी के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को कमीशन करने और उन्हें चलाने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय निकाय या प्राइवेट निकाय के साथ समझौता भी कर सकेगा।''।

नई धारा 59ख का अंत:स्थापन।

17. मूल अधिनियम की धारा 59क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

चिकित्सीय और पराचिकित्सीय शिक्षा।

''59ख. निगम, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अधीन प्रदान की जा रही सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने की दृष्टि से अपने पराचिकित्सीय कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों के लिए चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेगा।''।

अध्याय 5क के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन।

18. अध्याय 5क के स्थान पर निम्नलिखित नया अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 5क

## अन्य हिताधिकारियों के लिए स्कीम

परिभाषाएं।

73क. इस अध्याय में,—

(क) "अन्य हिताधिकारियों" से इस अधिनियम के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

(ख) "स्कीम" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य हिताधिकारियों के संबंध में चिकित्सा सुविधा के लिए धारा 73ख के अधीन समय-समय पर विरचित की गई कोई स्कीम अभिप्रेत है;

(ग) "अल्प उपयोगित अस्पताल" से ऐसा अस्पताल अभिप्रेत है जिसका इस अधिनियम के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है;

(घ) "उपयोक्ता प्रभार" से वह रकम अभिप्रेत है जो ऐसी चिकित्सा सुविधाओं के लिए, जो समय-समय पर निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से अधिसूचित की जाएं, अन्य हिताधिकारियों से प्रभारित की जानी है।

स्कीम विरचित करने की शक्ति।

73ख. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अन्य हिताधिकारियों और उनके कुटुंब के सदस्यों के लिए किसी क्षेत्र में निगम द्वारा स्थापित ऐसे किसी अस्पताल में, जो अल्प उपयोगिता वाला है, उपयोक्ता प्रभारों के संदाय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्कीम विरचित कर सकेगी ।

उपयोक्ता प्रभारों का संग्रहण।

73ग. अन्य हिताधिकारियों से संगृहीत उपयोक्ता प्रभार अभिदाय समझे जाएंगे और कर्मचारी राज्य बीमा निधि का भाग होंगे।

अन्य हिताधिकारियों के लिए स्कीम।

73घ. स्कीम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:—

(i) ऐसे अन्य हिताधिकारी जो इस स्कीम के अंतर्गत आते हों;

(ii) वह समय और रीति जिसमें अन्य हिताधिकारियों द्वारा चिकित्सा-सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी;

(iii) वह प्ररूप जिसमें अन्य हिताधिकारी स्वयं के बारे में और अपने कुटुम्ब के बारे में ऐसी विशिष्टियां, जब भी अपेक्षित हों, देंगे जो निगम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(iv) कोई अन्य विषय जिसके लिए स्कीम में उपबंध किया जाना है या जो स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या उचित हो।

स्कीम का संशोधन करने की शक्ति।

73ङ. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्कीम में जोड़ सकेगी, संशोधन, परिवर्तन कर सकेगी या उसे विखंडित कर सकेगी।

इस अध्याय के अधीन विरचित स्कीम का रखा जाना।

73च. इस अध्याय के अधीन विरचित की गई प्रत्येक स्कीम, विरचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस स्कीम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह स्कीम निष्प्रभाव हो जाएगी। तथापि, स्कीम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।'।

विधिमान्यकरण।

19. 3 जुलाई, 2008 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली और कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की गई या किए जाने से लोप की गई सभी बातें और सभी कार्रवाइयां या किए गए या न किए गए सभी उपाय, जहां तक वे कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के

अनुरूप है, कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई या लोप की गई या किए गए या न किए गए समझे जाएंगे मानो ऐसे उपबंध उस समय प्रवर्तन में थे जब उक्त अवधि के दौरान ऐसी बातें और कार्रवाइयां की गई थीं या जिनका किए जाने से लोप किया गया था या ऐसे उपाए किए गए थे या नहीं किए गए थे।

धारा 87 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 87 के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु ऐसी छूटें केवल तभी दी जा सकेंगी जब ऐसे कारखानों या स्थापनों में कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली प्रसुविधाओं के सारभूत रूप से समान या उससे अच्छी प्रसुविधाएं अन्यथा प्राप्त कर रहे हैं:

परंतु यह और कि नवीकरण के लिए आवेदन छूट की अवधि की समाप्ति की तारीख से तीन मास पूर्व किया जाएगा और उस पर विनिश्चय समुचित सरकार द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दो मास के भीतर किया जाएगा।''।

धारा 91क का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 91क में ''या तो भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से'' शब्दों के स्थान पर, ''भविष्यलक्षी रूप से'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 91कक का अंत:स्थापन।

22. मूल अधिनियम की धारा 91क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार का समुचित सरकार होना।

''91कक. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे राज्यों में जिनमें चिकित्सा प्रसुविधा निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, अवस्थित स्थापनों की बाबत केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार होगी।''।

धारा 95 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ङच) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ङचच) आश्रित माता-पिता की सभी स्रोतों से आय;'';

(ii) खंड (ङच) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ङजज) वे शर्तें जिनके अधीन बीमाकृत व्यक्ति और ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के, जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है, पति या पत्नी को ऐसे व्यक्ति को जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त होता है और ऐसे व्यक्ति को जो समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेता है, चिकित्सा प्रसुविधाएं संदेय होंगी।''।

धारा 96 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ङङ) संगठन की स्थापना के लिए, संगठनात्मक संरचना, कृत्य, शक्तियां, क्रियाकलाप और अन्य विषय;''।

धारा 97 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (xx) में, ''निरीक्षकों'' शब्द के स्थान पर, ''सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (xx) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(xxक) अपील प्राधिकारी का गठन और निगम के पास नियोजक द्वारा जमा की गई रकम पर ब्याज।''।

क्रमांक 3054–क/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLVII संख्यांक 1 में दिनांक 17 फरवरी, 2011 को प्रकाशित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009

(2010 का अधिनियम संख्यांक 1)

[13 जनवरी, 2010]

**बाटों और मापों के मानक नियत करने और प्रवृत्त करने, बाटों, मापों और ऐसे अन्य मालों में, जिनका विक्रय या वितरण तोल, माप या संख्या से किया जाता है, व्यापार या वाणिज्य को विनियमित करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय 1

## प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियंत्रक'' से धारा 14 के अधीन नियुक्त विधिक मापविज्ञान नियंत्रक अभिप्रेत है;

(ख) किसी बाट या माप के संबंध में ''व्यौहारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो चाहे नकदी के लिए या आस्थगित संदाय के लिए अथवा कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रत्यक्षत: या अन्यथा किसी ऐसे बाट या माप के क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार चलाता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई कमीशन अभिकर्ता, कोई आयातकर्ता, कोई विनिर्माता भी है, जो उसके द्वारा विनिर्मित किसी बाट या माप का व्यौहारी से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, प्रदाय, वितरण या अन्यथा परिदान करता है;

(ग) ''निदेशक'' से धारा 13 के अधीन नियुक्त विधिक मापविज्ञान निदेशक अभिप्रेत है;

(घ) ''निर्यात'' से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाना अभिप्रेत है;

(ङ) ''आयात'' से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है;

(च) ''लेबल'' से कोई ऐसी लिखित, चिन्हित, स्टांपित, मुद्रित या आलेखित सामग्री अभिप्रेत है, जो किसी पैकेज-पूर्व वस्तु पर चिपकाई गई है या दिखाई देती है;

(छ) ''विधिक मापविज्ञान'' से मापविज्ञान का वह भाग अभिप्रेत है जो तोलने और मापने की इकाइयों, तोलने और मापने की पद्धतियों तथा तोलने और मापने के उपकरणों को, ऐसी आज्ञापक तकनीकी और विधिक अपेक्षाओं की बाबत मानता है, जिनका उद्देश्य तोलों और मापों की सुरक्षा और शुद्धता की दृष्टि से लोक गारंटी सुनिश्चित करना है;

(ज) ''विधिक मापविज्ञान अधिकारी'' से धारा 13 और धारा 14 के अधीन नियुक्त अपर निदेशक, अपर नियंत्रक, संयुक्त निदेशक, संयुक्त नियंत्रक, उप निदेशक, उप नियंत्रक, सहायक निदेशक, सहायक नियंत्रक और निरीक्षक अभिप्रेत है;

(झ) किसी बाट या माप के संबंध में ''विनिर्माता'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो,—

(i) बाट या माप का विनिर्माण करता है,

(ii) ऐसे बाट या माप के एक या अधिक भागों का विनिर्माण करता है और अन्य भागों को अर्जित करता है तथा उन भागों को जोड़ने के पश्चात्, अंतिम उत्पाद का अपने द्वारा विनिर्मित, यथास्थिति, बाट या माप के रूप में, दावा करता है,

(iii) ऐसे बाट या माप के किसी भाग का विनिर्माण नहीं करता है किंतु दूसरों द्वारा विनिर्मित उसके भागों को जोड़ता है और अंतिम उत्पाद का अपने द्वारा विनिर्मित, यथास्थिति, बाट या माप के रूप में दावा करता है,

(iv) किसी ऐसे पूर्ण बाट या माप पर, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्मित या विनिर्मित किया गया है, अपना चिह्न लगाता है या लगवाता है और ऐसे उत्पाद का अपने या उसके द्वारा निर्मित या विनिर्मित, यथास्थिति, बाट या माप के रूप में दावा करता है;

(ञ) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) ''संरक्षण'' से यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि किसी मनुष्य या पशु की भलाई की सुरक्षा के लिए अथवा किसी वस्तु, वनस्पति या चीज की या तो अलग-अलग या सामूहिक रूप से संरक्षा के लिए कोई उपाय किए जाने की आवश्यकता है, किसी बाट या माप से प्राप्त पाठ्यांक का उपयोग अभिप्रेत है;

(ठ) ''पैकेज-पूर्व वस्तु'' से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो क्रेता के उपस्थित हुए बिना किसी भी प्रकृति के पैकेज में, चाहे सीलबंद हो या नहीं, रखी गई है, जिससे उसमें अंतर्विष्ट उत्पाद की पूर्व अवधारित मात्रा रहे;

(ड) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब,

(ii) प्रत्येक विभाग या कार्यालय,

(iii) सरकार द्वारा स्थापित या गठित प्रत्येक संगठन,

(iv) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी,

(v) कोई कंपनी, फर्म और व्यष्टि संगम,

(vi) किसी अधिनियम के अधीन गठित न्यास,

(vii) किसी अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी,

1860 का 21

(viii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक अन्य सोसाइटी;

(ढ) ''परिसर'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:—

(i) ऐसा कोई स्थान, जहां कोई कारबार, उद्योग, उत्पादन या संव्यवहार किसी व्यक्ति द्वारा चाहे स्वयं या किसी अभिकर्ता के माध्यम से चलाया जाता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो ऐसे परिसरों में कारबार चलाता है,

(ii) ऐसा कोई भांडागार, गोदाम या अन्य स्थान, जहां कोई बाट या माप या अन्य माल भंडारित या प्रदर्शित किए जाते हैं,

(iii) ऐसा कोई स्थान, जहां किसी व्यापार या संव्यवहार से संबंधित लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं,

(iv) कोई निवास गृह, यदि उसके किसी भाग का प्रयोग कोई कारबार, उद्योग, उत्पादन या व्यापार चलाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है,

(v) ऐसा कोई यान या जलयान अथवा कोई अन्य चल युक्ति, जिसकी सहायता से कोई संव्यवहार या कारबार किया जाता है;

(ण) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) ''मरम्मतकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी बाट या माप की मरम्मत करता है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है,जो ऐसे बाट या माप को अनुकूल बनाता है, उसकी सफाई करता है, उसका स्नेहन करता है या उस पर रंग करता है अथवा ऐसे बाट या माप की कोई अन्य सेवा प्रदान करता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा बाट या माप इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियत मानकों के अनुरूप है;

(थ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में ''राज्य सरकार'' से उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(द) ''विक्रय'' से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित किसी बाट, माप या अन्य माल में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नकदी के लिए या आस्थगित संदाय के लिए या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, संपत्ति का अंतरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किस्तों में संदाय की भाड़ा-क्रय प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली से किसी बाट, माप या अन्य माल का अंतरण भी है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसे बाट, माप या अन्य माल का बंधक या आडमान अथवा उस पर प्रभार या उसकी गिरवी नहीं है;

(ध) "मुद्रा" से ऐसी युक्ति या प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिससे कोई स्टाम्प बनाया जाता है और उसमें कोई तार या अन्य उपसाधन सम्मिलित है, जिसका प्रयोग किसी स्टाम्प की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है;

(न) "स्टाम्प" से ऐसा चिह्न अभिप्रेत है जो छापने, ढालने, उत्कीर्णन, निक्षारण, दाहांकन, पूर्व प्रतिबलित कागज मुद्रा के अंकन या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा किसी बाट या माप के संबंध में निम्नलिखित उद्देश्य से बनाया जाता है—

(i) यह प्रमाणित करने के लिए कि ऐसा बाट या माप इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप है, या

(ii) यह उपदर्शित करने के लिए कि कोई चिह्न जो पहले यह प्रमाणित करने के लिए उस पर लगाया गया था कि ऐसा बाट या माप इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है, मिटा दिया गया है;

(प) "संव्यवहार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) कोई संविदा, चाहे वह विक्रय, क्रय, विनिमय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए है, या

(ii) स्वामित्व, चुंगी, शुल्क या अन्य देयों का कोई निर्धारण, या

(iii) किसी किए गए कार्य, देय मजदूरी या दी गई सेवाओं का निर्धारण;

(फ) "सत्यापन" के अंतर्गत उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित किसी बाट या माप के संबंध में, ऐसे बाट या माप की तुलना, जांच, परख करने या अनुकूलन की ऐसी प्रक्रिया भी है जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि ऐसा बाट या माप इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियत मानकों के अनुरूप है तथा इसके अंतर्गत पुनःसत्यापन और अंशांकन भी हैं;

(ब) "बाट या माप" से इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट या माप अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत तोलने या मापने का उपकरण है।

इस अधिनियम के उपबंधों का किसी अन्य विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होना।

3. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में अथवा इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

## अध्याय 2

## मानक बाट और माप

बाटों और मापों की इकाइयों का मीटरी प्रणाली पर आधारित होना।

4. बाट या माप की प्रत्येक इकाई, इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर आधारित मीटरी प्रणाली के अनुसार होगी।

बाटों और मापों की आधार इकाई।

5. (1) (i) लंबाई की मीटर;

(ii) द्रव्यमान की किलोग्राम;

(iii) समय की सेकिंड;

(iv) विद्युत धारा की एम्पियर;

(v) उष्मागतिक तापमान की केल्विन;

(vi) ज्योति तीव्रता की कैंडेला; और

(vii) पदार्थ के परिमाण की मोल,

आधार इकाई होगी।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित आधार इकाइयों, व्युत्पन्न इकाइयां और अन्य इकाइयों के विनिर्देश ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

अंकों की आधार इकाई।

6. (1) अंकों की आधार इकाई भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप की इकाई होगी।

(2) प्रत्येक अंक, दशमलव प्रणाली के अनुसार होगा।

(3) अंकों के दशमलव गुणज और उपगुणज ऐसे अभिधान वाले होंगे और ऐसी रीति से लिखे जाएंगे, जो विहित की जाए।

बाट और माप की मानक इकाइयां।

7. (1) धारा 5 में विनिर्दिष्ट बाटों और मापों की आधार इकाइयां बाटों और मापों की मानक इकाइयां होंगी।

(2) धारा 6 में विनिर्दिष्ट अंकों की आधार इकाई अंकों की मानक इकाई होगी।

(3) धारा 5 में उल्लिखित आधार, व्युत्पन्न और अन्य इकाइयों का मूल्य निकालने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वस्तुओं या उपस्करों को तैयार करेगी या तैयार करवाएगी ।

(4) भौतिक लक्षण, आकृति, संरचनात्मक ब्यौरे, सामग्रियां, उपस्कर, कार्यपालन, सहयता, पुनःसत्यापन की अवधि, परीक्षणों की पद्धतियां या प्रक्रियाएं ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

मानक बाट, माप या अंक।

8. (1) कोई बाट या माप, जो ऐसे बाट या माप की मानक इकाई के अनुरूप है और धारा 7 के ऐसे उपबंधों के भी अनुरूप हैं, जो उसे लागू हैं, मानक बाट या माप होगा।

(2) कोई अंक, जो धारा 6 के उपबंधों के अनुरूप है, मानक अंक होगा।

(3) मानक बाट, माप या अंक से भिन्न किसी बाट, माप या अंक को मानक बाट, माप या अंक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

(4) किसी बाट या माप का विनिर्माण या आयात तभी किया जाएगा जब वह धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट बाट या माप के मानकों के अनुरूप हो:

परंतु इस धारा के उपबंध निर्यात के लिए या किसी वैज्ञानिक अन्वेषण या अनुसंधान के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से किए गए विनिर्माण को लागू नहीं होंगे।

निर्देश, द्वितीयिक और कार्यसाधक मानक।

9. (1) बाटों और मापों के निर्देश मानक, द्वितीयिक मानक और कार्यसाधक मानक ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(2) प्रत्येक ऐसे निर्देश मानक, द्वितीयिक मानक और कार्यसाधक मानक को ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय के पश्चात्, जो विहित की जाए सत्यापित और स्टांपित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक ऐसे निर्देश मानक, द्वितीयिक मानक और कार्यसाधक मानक को, जिनका उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सत्यापन और स्टंपन नहीं किया जाता है, विधिमान्य मानक नहीं समझा जाएगा।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बाट या माप का उपयोग।

10. किसी माल, माल के वर्ग अथवा वचनबंध के संबंध में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा ऐसे बाट, माप या अंक द्वारा की जाएगी, जो विहित किया जाए।

बाट, माप या अंक की मानक इकाइयों के निबंधनों के अनुसार से अन्यथा कोटेशन आदि का प्रतिषेध।

11. (1) कोई व्यक्ति, किसी माल, चीज या सेवा के संबंध में बाट, माप या अंक की मानक इकाई के निबंधनों के अनुसार से अन्यथा—

(क) मौखिक शब्दों द्वारा या अन्यथा, किसी कीमत या प्रभार को कोट नहीं करेगा या उसकी घोषणा नहीं करेगा; या

(ख) कोई कीमत सूची, बीजक, कैशमैमो या अन्य दस्तावेज जारी या प्रदर्शित नहीं करेगा; या

(ग) कोई विज्ञापन, पोस्टर या अन्य दस्तावेज तैयार या प्रकाशित नहीं करेगा; या

(घ) पैकेज पूर्व वस्तु की शुद्ध मात्रा को उपदर्शित नहीं करेगा; या

(ङ) किसी संव्यवहार या संरक्षा, किसी मात्रा या विमा के संबंध में अभिव्यक्ति नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी माल, चीज या सेवा के निर्यात के लिए लागू नहीं होंगे।

मानक बाट, माप या अंक के प्रतिकूल किसी रूढ़ि, प्रथा आदि का शून्य होना।

12. किसी भी प्रकार की कोई रूढ़ि, प्रथा, व्यवहार या पद्धति, जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु, चीज या सेवा से संबंधित संविदा या अन्य करार में तोल, माप या संख्या द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक या कम की उक्त वस्तु, चीज की मात्रा या सेवा की मांग करने, प्राप्त करने अथवा मांग करवाने या प्राप्त करवाने की अनुज्ञा देती है, शून्य होगी।

## अध्याय 3

## निदेशक, नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां

निदेशक, विधिक मापविज्ञान अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

13. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विधिक मापविज्ञान निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और अन्य कर्मचारियों की, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्ति कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशक और विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की अर्हताएं ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशक और प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी, ऐसी स्थानीय सीमाओं के संबंध में, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी, निदेशक के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(5) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत निदेशक, नियंत्रक और प्रत्येक विधिक, मापविज्ञान अधिकारी, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

(6) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत निदेशक, नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जानी आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(7) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार की सहमति से और ऐसी शर्तों, सीमाओं और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के अधीन निदेशक की ऐसी शक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, राज्य में विधिक मापविज्ञान नियंत्रक को प्रत्यायोजित कर सकेगी और यदि ऐसे नियंत्रक की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह उसे प्रत्यायोजित शक्तियों में से ऐसी शक्तियां, जिन्हें वह ठीक समझे किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा तथा जहां ऐसे नियंत्रक द्वारा शक्तियों का कोई ऐसा प्रत्यायोजन किया जाता है, वहां वह व्यक्ति, जिसको ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से और वैसे ही प्रभावी रूप से करेगा मानो वे इस अधिनियम द्वारा, न कि प्रत्यायोजन के तौर पर, उसे सीधे प्रदत्त की गई हों।

(8) जहां, उपधारा (7) के अधीन शक्तियों का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है, वहां इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग निदेशक के साधारण अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन किया जाएगा।

नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

14. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक विधिक मापविज्ञान नियंत्रक, अपर नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, निरीक्षक और अन्य कर्मचारी की, अंत:राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, नियुक्ति कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की अर्हताएं ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रक और प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी, ऐसी स्थानीय सीमाओं के संबंध में, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी, नियंत्रक के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

निरीक्षण, अभिग्रहण आदि की शक्ति।

15. (1) निदेशक, नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी, यदि उसके पास, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई और लेखबद्ध कर ली गई किसी जानकारी से अथवा वैयक्तिक ज्ञान से अथवा अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि कोई बाट या माप या अन्य माल, जिसके संबंध में कोई व्यापार या वाणिज्य हुआ है या होना आशयित है और जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या किया जाना संभाव्य है, किसी परिसर में या तो रखा गया है या छिपाया गया है अथवा परिवहन के अनुक्रम में है,—

(क) ऐसे किसी परिसर में किसी भी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा और किसी बाट, माप या अन्य माल के लिए, जिसके संबंध में व्यापार और वाणिज्य हुआ है या होना आशयित है और उससे संबंधित किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के लिए तलाशी ले सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा;

(ख) ऐसे किसी बाट, माप या अन्य माल को और किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस बात का साक्ष्य मिल सकता है कि किसी व्यापार और वाणिज्य के दौरान या उसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है या किया जाना संभाव्य है, अभिगृहीत कर सकेगा।

(2) निदेशक, नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट बाट या माप से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज या अन्य अभिलेख पेश करने की भी अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे बाट या माप को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत कोई माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है तो निदेशक, नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी ऐसे माल का ऐसी रीति में व्ययन कर सकेगा, जो विहित की जाए।

1974 का 2

(4) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

समपहरण।

16. (1) प्रत्येक अमानक या असत्यापित बाट या माप और धारा 18 के उल्लंघन में बनाया गया प्रत्येक पैकेज, जिसका प्रयोग किसी व्यापार या वाणिज्य के दौरान या उसके संबंध में किया गया है और जिसे धारा 15 के अधीन अभिगृहीत किया गया है, राज्य सरकार को समपहृत होने के दायित्वाधीन होगा:

परंतु ऐसा असत्यापित बाट या माप राज्य सरकार को समपहृत नहीं होगा, यदि वह व्यक्ति, जिससे ऐसा बाट या माप अभिगृहीत किया गया था, उसे ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सत्यापित और स्याम्पित करा लेता है ।

(2) धारा 15 के अधीन अभिगृहीत, किंतु उपधारा (1) के अधीन समपहृत न किए गए प्रत्येक बाट, माप या अन्य माल का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, व्ययन किया जाएगा।

विनिर्माता, आदि द्वारा अभिलेखों और रजिस्टरों का रखा जाना।

17. (1) बाट या माप का प्रत्येक विनिर्माता, मरम्मतकर्ता या व्यौहारी, ऐसे अभिलेख और रजिस्टर रखेगा, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अभिलेख और रजिस्टर, निरीक्षण के समय धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के समक्ष पेश किए जाएंगे।

पूर्व पैक की गई वस्तुओं पर घोषणाएं।

18. (1) कोई भी व्यक्ति, किसी पूर्व पैक की गई वस्तु को तब तक विनिर्मित, पैक, विक्रीत, आयात, वितरित, परिदत्त, प्रस्थापित, अभिदर्शित नहीं करेगा या विक्रय के लिए नहीं रखेगा, जब तक ऐसा पैकेज ऐसे, मानक परिमाण या संख्या में न हो और उस पर ऐसी रीति से ऐसी घोषणाएं और विशिष्टियां न हों, जो विहित की जाएं।

(2) किसी पूर्व पैक की गई वस्तु की फुटकर विक्रय कीमत का उल्लेख करने वाले किसी विज्ञापन में, पैकेज में रखी हुई वस्तु का शुद्ध परिमाण या संख्या के बारे में ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, एक घोषणा अंतर्विष्ट होगी।

बांट या माप के आयातकर्ता के लिए रजिस्ट्रीकरण।

19. कोई भी व्यक्ति किसी बाट या माप का आयात तब तक नहीं करेगा, जब तक वह ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाएं, निदेशक के पास रजिस्ट्रीकृत न हो।

अमानक बाटों और मापों का आयात न किया जाना।

20. किसी भी बाट या माप का, चाहे एकल रूप में या किसी मशीन के भाग या घटक के रूप में तभी आयात किया जाएगा, जब वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित बाट या माप मानकों के अनुरूप हो।

विधिक मापविज्ञान में प्रशिक्षण।

21. (1) विधिक मापविज्ञान और ज्ञान की अन्य सहबद्ध शाखाओं में प्रशिक्षण देने के लिए बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन स्थापित "भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान" (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संस्थान" कहा गया है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन स्थापित किया गया समझा जाएगा। 1976 का 60

(2) संस्थान का प्रबंध और नियंत्रण, अध्यापन कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारी, उसमें प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, वे अर्हताएं, जो उसमें प्रवेश हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के पास होंगी, ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

प्रतिमान का अनुमोदन।

22. प्रत्येक व्यक्ति, किसी बाट या माप का विनिर्माण या आयात करने से पूर्व ऐसी रीति से, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्राधिकारी से, जो विहित किया जाए, उस बाट या माप के प्रतिमान का अनुमोदन प्राप्त करेगा:

परंतु प्रतिमान का ऐसा अनुमोदन, किसी ढलवां लोहे, तांबे, बुलियन या कैरट बाट या किसी किरणपुंज मान, लंबाई मापों (जो मापमानी टेप नहीं हैं), जिनका सामान्यतया वस्त्र या काष्ठ मापने के लिए फुटकर व्यापार में उपयोग किया जाता है, क्षमता में बीस लीटर से अनधिक क्षमता माप, जिनका सामान्यतया मिट्टी का तेल, दूध या पेय लिकरों का माप करने के लिए फुटकर व्यापार में उपयोग किया जाता है, के संबंध में अपेक्षित नहीं होगा:

परन्तु यह और कि यदि विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसे बाट या माप का प्रतिमान, जो भारत से बाहर किसी देश में अनुमोदित किया गया है, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप है तो वह ऐसे प्रतिमान को किसी परीक्षण के बिना या ऐसे परीक्षण के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, अनुमोदन कर सकेगा।

अनुज्ञप्ति के बिना बाट या माप के विनिर्माण, मरम्मत या विक्रय का प्रतिषेध।

23. (1) कोई भी व्यक्ति, किसी बाट या माप का तब तक विनिर्माण, मरम्मत या विक्रय नहीं करेगा अथवा मरम्मत या विक्रय के लिए उसे प्रस्थापित, अभिदर्शित नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा, जब तक वह उपधारा (2) के अधीन नियंत्रक द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति धारित न करता हो:

परंतु किसी विनिर्माता से अपने स्वयं के बाट और माप की मरम्मत के लिए उसके विनिर्माण के राज्य से भिन्न किसी राज्य में मरम्मत की कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, नियंत्रक ऐसे प्ररूप और रीति से, ऐसी शर्तों पर, ऐसी अवधि और अधिकारिता के ऐसे क्षेत्र के लिए तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

अध्याय 4

## बाट या माप का सत्यापन और स्टाम्पन

बाट या माप का सत्यापन और स्टाम्पन।

24. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई बाट या माप ऐसी परिस्थितियों में है, जो यह उपदर्शित करती हैं कि ऐसे बाट या माप का उसके द्वारा किसी संव्यवहार में या संरक्षा के लिए उपयोग किया जा रहा है या किया जाना आशयित या संभाव्य है, ऐसे बाट या माप को ऐसे उपयोग में लाने से पूर्व, ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर, जो विहित की जाए, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय के दौरान, जो नियंत्रक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सत्यापित कराएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, ऐसे बाट और माप की किस्में विहित कर सकेगी, जिनके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन किया जाना है।

(3) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, अधिसूचित किया जाएगा।

(4) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट बाट और माप के सत्यापन के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या लगाएगा और ऐसी फीस का संग्रहण करेगा, जो विहित की जाएं।

अध्याय 5

## अपराध और शास्तियां

अमानक बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति।

25. जो कोई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, बाट या माप मानकों या अंक मानकों से भिन्न किसी बाट या माप का उपयोग करेगा या उपयोग के लिए उसे रखेगा या किसी अंक का उपयोग करेगा, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

बाट और माप के परिवर्तन के लिए शास्ति।

26. जो कोई किसी व्यक्ति को प्रवंचित करने की दृष्टि से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण होते हुए कि उससे किसी व्यक्ति को प्रवंचित किए जाने की संभावना है, किसी निर्देश मानक, द्वितीयिक मानक या कार्यसाधक मानक को किसी प्रकार बिगाड़ेगा या परिवर्तित करेगा या किसी बाट या माप में वृद्धि या कमी करेगा या परिवर्तन करेगा, सिवाय उस दशा के, जहां ऐसा परिवर्तन सत्यापन पर उसमें पाई गई किसी भूल का सुधार करने के लिए किया जाता है, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अमानक बाट या माप के विनिर्माण या विक्रय के लिए शास्ति।

27. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी ऐसे बाट या माप का जो—

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट या माप मानकों के अनुरूप नहीं है; या

(ख) जिस पर बाट, माप या अंक का ऐसा कोई अंतरालेखन है, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट, माप या अंक मानकों के अनुरूप नहीं है,

सिवाय उस दशा के, जहां इस अधिनियम के अधीन उसे ऐसा करने की अनुमति दी गई है, विनिर्माण करेगा या विनिर्माण कराएगा अथवा विक्रय करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा, अभिदर्शित करेगा या उसे कब्जे में रखेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

विहित मानकों के उल्लंघन में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा करने के लिए शास्ति।

28. जो कोई धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट बाट और माप मानकों के उल्लंघन में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अमानक इकाइयों को कोट करने या प्रकाशित करने, आदि के लिए शास्ति।

29. जो कोई धारा 11 का अतिक्रमण करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

मानक बाट या माप के उल्लंघन में संव्यवहारों के लिए शास्ति।

30. जो कोई,—

(क) बाट, माप या संख्या में किसी वस्तु या चीज का विक्रय करने में, क्रेता को उस वस्तु या चीज को ऐसी मात्रा या संख्या में परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा, जो उस मात्रा या संख्या से कम है, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है; या

(ख) बाट, माप या संख्या में कोई सेवा प्रदान करने में, उस सेवा से कम सेवा प्रदान करेगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है; या

(ग) बाट, माप या संख्या में कोई वस्तु या चीज क्रय करने में, कपटपूर्वक उस मात्रा या संख्या से अधिक उस वस्तु या चीज को ऐसी मात्रा या संख्या में प्राप्त करेगा या प्राप्त करवाएगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है; या

(घ) बाट, माप या संख्या में कोई सेवा प्राप्त करने में, उस सेवा से अधिक सेवा प्राप्त करेगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है,

वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

दस्तावेजों, आदि के पेश न किए जाने के लिए शास्ति।

31. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विवरणियां प्रस्तुत करने, कोई अभिलेख या रजिस्टर रखे जाने की अपेक्षा किए जाने पर या निदेशक या नियंत्रक या किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा कोई बाट या माप या उससे संबंधित कोई दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख निरीक्षण के लिए उसके समक्ष पेश करने की अपेक्षा किए जाने पर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसा करने का लोप करेगा या उसमें असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

प्रतिमान अनुमोदित कराने में असफलता के लिए शास्ति।

32. जो कोई किसी बाट या माप के प्रतिमान को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने में असफल रहेगा या उसमें लोप करेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

असत्यापित बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति।

33. जो कोई किसी असत्यापित बाट या माप को विक्रीत, वितरित, परिदत्त करेगा या अन्यथा उसका अंतरण या उपयोग करेगा, वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं, आदि के विक्रय या परिदान के लिए शास्ति।

34. जो कोई मानक बाट, माप या संख्या से भिन्न किसी साधन द्वारा किसी वस्तु, चीज या सामग्री का विक्रय करेगा या करवाएगा अथवा परिदान करेगा या परिदान करवाएगा, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अमानक बाट, माप या संख्या द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति।

35. जो कोई बाट या माप या संख्या से भिन्न किसी साधन द्वारा या मानक बाट या माप से भिन्न किसी बाट, माप या संख्या द्वारा कोई सेवा प्रदान करेगा या प्रदान करवाएगा वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अमानक पैकेजों का विक्रय आदि करने के लिए शास्ति।

36. (1) जो कोई किसी पूर्व पैक की गई ऐसी वस्तु को, जो इस अधिनियम में यथा उपबंधित पैकेज पर घोषणाओं के अनुरूप नहीं है विक्रय के लिए विनिर्मित करेगा, पैक करेगा, आयात करेगा, विक्रय करेगा, वितरित करेगा, परिदत्त करेगा या अन्यथा अंतरित करेगा, प्रस्थापित करेगा, अभिदर्शित करेगा या कब्जे में रखेगा अथवा विक्रय करवाएगा, विक्रय के लिए वितरित करवाएगा, परिदत्त करवाएगा या अन्यथा अंतरित कराएगा, प्रस्थापित करवाएगा, अभिदर्शित करवाएगा वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, द्वितीय अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई उस शुद्ध मात्रा में, जो विहित की जाए, गलती सहित पहले से पैक की गई किसी वस्तु को विनिर्मित करेगा या पैक करेगा या आयात करेगा अथवा विनिर्मित करवाएगा या पैक करवाएगा या आयात करवाएगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति।

37. (1) जहां सरकार द्वारा अनुमोदित कोई परीक्षण केन्द्र, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का या अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करेगा, वहां वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

(2) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला सरकार द्वारा अनुमोदित किसी परीक्षण केन्द्र का कोई स्वामी या कर्मचारी इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी बाट या माप का जानबूझकर सत्यापन या स्टाम्पन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

बाट या माप के आयातकर्ता द्वारा अरजिस्ट्रीकरण के लिए शास्ति।

38. जो कोई इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुए बिना किसी बाट या माप का आयात करेगा, वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अमानक बाट या माप के आयात के लिए शास्ति।

39. जो कोई किसी अमानक बाट या माप का आयात करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

निदेशक, नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति।

40. जो कोई निदेशक, नियंत्रक या किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी को, उसकी शक्तियों का प्रयोग या उसके कृत्यों का निर्वहन करने से उस निदेशक या नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी को निवारित करने या भयोपरत करने के आशय से या निदेशक या, नियंत्रक अथवा विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा उस रूप में अपनी शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग या उसके कृत्यों के निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयास की गई किसी बात के परिणामस्वरूप बाधा पहुंचाएगा या किसी बाट या माप या उससे संबंधित किसी दस्तावेज या अभिलेख या किसी पैक की गई वस्तु की शुद्ध अंतर्वस्तुओं के निरीक्षण या सत्यापन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए निदेशक या, नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी को किसी परिसर में प्रवेश करने में बाधा पहुंचाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

मिथ्या जानकारी या मिथ्या विवरणी देने के लिए शास्ति।

41. (1) जो कोई निदेशक, नियंत्रक या किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी को, कोई ऐसी जानकारी देगा जिसकी वह अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में अपेक्षा या मांग करे और जिसकी बाबत ऐसा व्यक्ति या तो यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा या ऐसा कोई अभिलेख या रजिस्टर रखेगा, जिसकी तात्त्विक विशिष्टियां मिथ्या हैं, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

तंग करने वाली तलाशी।

42. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला निदेशक या नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी, जो यह जानते हुए भी कि ऐसा करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है:—

(क) किसी गृह, वाहन या स्थान की तलाशी लेगा या तलाशी करवाएगा; या

(ख) किसी व्यक्ति की तलाशी लेगा; या

(ग) किसी बाट, माप या अन्य जंगम संपत्ति को अभिगृहीत करेगा,

वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

अधिनियम या नियमों के उल्लंघन में सत्यापन के लिए शास्ति।

43. जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में जानबूझकर किसी बाट या माप को सत्यापित या स्टाम्पित करेगा, वहां वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

मुद्राओं के कूटकरण, आदि के लिए शास्ति।

44. (1) जो कोई,—

(i) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट किसी मुद्रा का कूटकरण करेगा; या

(ii) किसी कूटकृत मुद्रा का विक्रय करेगा या अन्यथा व्ययन करेगा; या

(iii) किसी कूटकृत मुद्रा को कब्जे में रखेगा; या

(iv) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट किसी स्टाम्प को कूटकृत करेगा या हटाएगा या उससे छेड़छाड़ करेगा; या

(v) इस प्रकार हटाए गए स्टाम्प को किसी अन्य बाट या माप पर लगाएगा या उनमें अंत:स्थापित करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "कूटकृत" का वही अर्थ है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 28 में है। 1860 का 45

(2) जो कोई विधिविरुद्ध ढंग से, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट किसी मुद्रा को अभिप्राप्त करेगा और ऐसी किसी मुद्रा को यह प्रतिरूपित करने की दृष्टि से किसी बाट या माप पर कोई स्टाम्प बनाने के लिए उपयोग करेगा या उपयोग करवाएगा कि ऐसी मुद्रा द्वारा बनाई गई स्टाम्प इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की

हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

(3) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी मुद्रा के विधिपूर्ण कब्जे में होते हुए ऐसी मुद्रा का उपयोग, ऐसे उपयोग के लिए किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना करेगा या करवाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

(4) जो कोई ऐसे किसी बाट या माप का विक्रय करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित या अभिदर्शित करेगा, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस पर कूटकृत स्टाम्प लगी है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप के विनिर्माण के लिए शास्ति।

**45.** जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित होने पर, विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण किए बिना, किसी बाट या माप का विनिर्माण करेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप की मरम्मत, विक्रय, आदि के लिए शास्ति।

**46.** जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित होने पर, विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण किए बिना, किसी बाट या माप की मरम्मत करेगा या उसका विक्रय करेगा अथवा मरम्मत या विक्रय के लिए उसको प्रस्थापित करेगा, उसको अभिदर्शित करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति को बिगाड़ने के लिए शास्ति।

**47.** जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी की गई या नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को नियंत्रक द्वारा इस निमित्त किए गए किसी प्राधिकार के अनुसार से अन्यथा परिवर्तित करेगा या अन्यथा बिगाड़ेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अपराधों का शमन।

**48.** (1) धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 45 से धारा 47 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, या तो अधियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, सरकार के पक्ष में ऐसी राशि के, जो विहित की जाए, जमा किए जाने के लिए संदाय पर शमन किया जा सकेगा।

(2) ऐसा निदेशक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी, जो इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए, धारा 25, धारा 27 से धारा 39 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा।

(3) नियंत्रक या उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत विधिक मापविज्ञान अधिकारी, धारा 25, धारा 27 से धारा 31, धारा 33 से धारा 37, धारा 45 से धारा 47 और धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा:

परंतु ऐसी राशि किसी भी दशा में, जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी, जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाए।

(4) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो वही या वैसा ही अपराध, उस तारीख से, जिसको उसके द्वारा किए गए प्रथम अपराध का शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि के भीतर करता है।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध को, जो उस तारीख से, जिसको अपराध का पहले शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है प्रथम अपराध समझा जाएगा।

(5) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया जाता है, वहां उस अपराध के संबंध में, जिसका ऐसे शमन किया जाता है, अपराधी के विरुद्ध, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का, इस धारा द्वारा यथाउपबंधित के सिवाय शमन नहीं किया जाएगा।

कंपनियों द्वारा अपराध और सिद्धदोष कंपनियों के नाम, कारबार के स्थान आदि को प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति।

49. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है,—

(क) (i) वहां ऐसा व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसे उपधारा (2) के अधीन, कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी के रूप में घोषित किया गया है (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में उत्तरदायी व्यक्ति कहा गया है); या

(ii) जहां कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था; और

(ख) कंपनी,

ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) कोई कंपनी, लिखित आदेश द्वारा अपने किसी निदेशक को ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी उपाय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा कोई अपराध किए जाने को निवारित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और निदेशक या संबद्ध नियंत्रक अथवा ऐसे नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, यह सूचना कि कंपनी ने ऐसे निदेशक को उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है, इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए ऐसे निदेशक की लिखित सहमति के साथ, दे सकेगी।

स्पष्टीकरण—जहां कंपनी के विभिन्न स्थापन या शाखाएं अथवा किसी स्थापन या शाखा में विभिन्न इकाइयां हैं, वहां विभिन्न स्थापनों या शाखाओं या इकाइयों के संबंध में इस उपधारा के अधीन भिन्न-भिन्न व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे और किसी स्थापन, शाखा या इकाई के संबंध में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे स्थापन, शाखा या इकाई की बाबत उत्तरदायी व्यक्ति समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उस समय तक जब तक कि,—

(i) निदेशक या संबद्ध नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कंपनी से ऐसे नामनिर्देशन को रद्द करने वाली और सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है; या

(ii) वह कंपनी का निदेशक नहीं रहता है; या

(iii) वह निदेशक या संबद्ध नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी को कंपनी को सूचना के अधीन नामनिर्देशन को रद्द करने का लिखित में ऐसा कोई अनुरोध नहीं करता है, जिसका निदेशक या संबद्ध नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा,

इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उत्तरदायी व्यक्ति बना रहेगा:

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति कंपनी का निदेशक नहीं रहता है वहां वह निदेशक या संबद्ध नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी को इस प्रकार निदेशक न रहने के तथ्य को संसूचित करेगा:

परंतु यह और कि जहां ऐसा व्यक्ति खंड (iii) के अधीन कोई अनुरोध करता है वहां निदेशक या संबद्ध नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसी तारीख से, जिसको अनुरोध किया जाता है, पूर्वतर किसी तारीख से ऐसे नामनिर्देशन को रद्द नहीं करेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, जो उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है, की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

(5) जहां कोई कंपनी इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के उल्लंघन के लिए इसके अधीन दोषसिद्ध की जाती है वहां उस कंपनी को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह उस कंपनी का नाम और कारबार का स्थान, उल्लंघन का स्वरूप, यह बात कि कंपनी उस प्रकार दोषसिद्ध की गई है और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिन्हें न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, उस कंपनी के व्यय पर ऐसे समाचारपत्रों में या ऐसी अन्य रीति से जैसी न्यायालय निदेश करे, प्रकाशित कराए।

(6) उपधारा (5) के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील करने की अवधि, अपील किए बिना, समाप्त न हो गई हो या ऐसी अपील किए जाने पर वह निपटा न दी गई हो।

(7) उपधारा (5) के अधीन किसी प्रकाशन के व्यय कंपनी से इस प्रकार वसूलीय होंगे, मानो वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है, किन्तु उसके अन्तर्गत नामनिर्दिष्ट निदेशक, अवैतनिक निदेशक, सरकारी नामनिर्दिष्ट निदेशक नहीं है।

अपीलें।

**50.** (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) धारा 13 के अधीन नियुक्त विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा धारा 15 से धारा 20, धारा 22, धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 41 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन प्रत्येक विनिश्चय या आदेश से अपील निदेशक को होगी;

(ख) धारा 15 से धारा 20, धारा 22, धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 41 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन विधिक मापविज्ञान निदेशक द्वारा किए गए प्रत्येक विनिश्चय या आदेश से अपील केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को होगी;

(ग) विधिक मापविज्ञान निदेशक की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन विधिक मापविज्ञान नियंत्रक द्वारा किए गए प्रत्येक विनिश्चय से अपील केन्द्रीय सरकार को होगी;

(घ) धारा 14 के अधीन नियुक्त किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा धारा 15 से धारा 18, धारा 23 से धारा 25, धारा 27 से धारा 37, धारा 45 से धारा 47 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किए गए प्रत्येक विनिश्चय या आदेश से अपील नियंत्रक को होगी; और

(ङ) धारा 15 से धारा 18, धारा 23 से धारा 25, धारा 27 से धारा 37, धारा 45 से धारा 47 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन नियंत्रक द्वारा किए गए

ऐसे प्रत्येक विनिश्चय या आदेश से, जो खंड (घ) के अधीन अपील में किया गया कोई आदेश नहीं है, अपील राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को होगी।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील उस तारीख से जिसको अपेक्षित आदेश किया गया था, साठ दिन के भीतर की जाएगी:

परंतु यदि अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील करने में पर्याप्त कारणों से निवारित रहा था तो वह अपीलार्थी को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) ऐसी किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे, करने के पश्चात्, उस विनिश्चय या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट करने वाला, परिवर्तित करने वाला या उलटने वाला ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे अथवा मामले को यदि आवश्यक हो तो, अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् ऐसे निदेश के साथ, जो वह ठीक समझे, किसी नए विनिश्चय या आदेश के लिए वापस भेज सकेगा।

(4) प्रत्येक अपील ऐसी फीस के संदाय पर की जाएगी, जो विहित की जाए।

(5) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसके अंतर्गत अपील की कार्यवाही भी है, जिसमें कोई विनिश्चय या आदेश किया गया है, अभिलेख ऐसे विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या उसके औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी तथा उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे:

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी विनिश्चय या आदेश में ऐसा कोई फेरफार, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का लागू न होना।

**51.** भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 153 के उपबंध, जहां तक ऐसे उपबंध बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के बारे में हैं, ऐसे किसी अपराध को लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है। 1860 का 45 1974 का 2

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

**52.** (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन मापों की आधार इकाइयों और द्रव्यमान की आधार-इकाई का विनिर्देश;

(ख) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन वस्तुओं और उपस्करों को तैयार करने की रीति;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन भौतिक लक्षणों, आकृति, संरचनात्मक ब्यौरों, सामग्रियों, उपस्कर, कार्यपालन, सह्यता, पुनःसत्यापन की अवधि, परीक्षण की पद्धतियां या प्रक्रियाएं;

(घ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन बाटों और मापों के निर्देश मानक, द्वितीयिक मानक और कार्यसाधक मानक;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन निर्देश मानकों, द्वितीयिक मानकों और कार्यसाधक मानकों को सत्यापित और स्टाम्पित किया जाएगा तथा उस उपधारा के अधीन फीस;

(च) ऐसे बाट या माप या संख्या, जिसमें किसी माल, माल के वर्ग के संबंध में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा अथवा वचनबंध धारा 10 के अधीन किए जाएंगे;

(छ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन निदेशक और विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की अर्हताएं;

(ज) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की अर्हताएं;

(झ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन माल के व्ययन की रीति;

(ञ) मानक मात्रा या संख्या और वह रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन पैकेजों पर घोषणाएं और विशिष्टियां होंगी;

(ट) धारा 19 के अधीन रीति और रजिस्ट्रीकरण तथा फीस;

(ठ) संस्थान का प्रबंध और नियंत्रण, शिक्षण कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारी, प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, अर्हताएं, जो धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन उनमें प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के पास होंगी;

(ड) धारा 22 के अधीन प्रतिमानों के अनुमोदन की रीति, फीस और प्राधिकारी;

(ढ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन बाटों या मापों के प्रकार;

(ण) वह रीति, जिसमें और वे निबंधन और शर्तें, जिन पर तथा वह फीस, जिसके संदाय पर केन्द्रीय सरकार, धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को अधिसूचित करेगी;

(त) नियुक्त या लगाए गए व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव तथा वह फीस और निबंधन तथा शर्तें, जिन पर सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन बाट या माप का सत्यापन करेगा;

(थ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन शुद्ध मात्रा में गलती;

(द) धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन अपराध के शमन के लिए फीस;

(ध) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन निदेशक या नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को सूचना दी जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाते समय केन्द्रीय सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

53. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 16 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन वह समय, जिसके भीतर बाट या माप का सत्यापन कराया जा सकेगा;

(ख) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख;

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्ररूप, रीति, शर्तें, अवधि, अधिकारिता का क्षेत्र और फीस;

(घ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन किसी बाट या माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए फीस;

(ङ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों को अधिसूचित करने की रीति, निबंधन और शर्तें तथा संदत्त की जाने वाली फीस;

(च) धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के लिए फीस।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन किसी नियम को बनाने में, यह उपबंध कर सकेगी कि उसका भंग ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति, राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए गए नियमों की शर्तों के अधीन होगी।

(5) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल में दो सदन हैं वहां राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां राज्य विधान-मंडल में एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

**54.** (1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का, जो अपील से संबंधित धारा 50 या नियम बनाने की शक्ति से संबंधित धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्ति नहीं है, ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग किया जा सकेगा ।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किसी साधारण या विशेष निदेश या शर्त के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से और उसी विस्तार तक कर सकेगा, मानो वे उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा सीधे ही प्रदत्त की गई हैं, न कि प्रत्यायोजन के रूप में।

अधिनियम का कुछ मामलों में लागू न होना।

**55.** इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक वे बाटों और मापों के सत्यापन और स्टाम्पन से संबंधित हैं, किसी ऐसे बाट या माप को लागू नहीं होंगे, जो—

(क) किसी ऐसे कारखाने में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो अनन्यत: संघ के सशस्त्र बलों के प्रयोग के लिए किन्हीं आयुधों, गोलाबारूद या दोनों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं;

(ख) वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए या अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं;

(ग) अनन्यत: निर्यात के लिए विनिर्मित किए जाते हैं।

विद्यमान निदेशक, नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारी का विहित की जाने वाली नई अर्हता द्वारा प्रभावित न होना।

**56.** (1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व नियुक्त प्रत्येक निदेशक, नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारी, विभिन्न अर्हताएं विहित करने वाले किसी नियम के होते हुए भी, धारा 13 की उपधारा (1) और धारा 14 के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

1985 का 54

(2) बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवर्तन में हैं, उस समय तक प्रवर्तन में बने रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार उस निमित्त नियम न बना दे।

1976 का 60
1985 का 54

57. (1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 का निरसन।

1897 का 10
1976 का 60
1985 का 54

(2) निरसन के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना, बनाया गया नियम या किया गया आदेश, यदि वह इस अधिनियम के प्रारंभ पर प्रवर्तन में है, तो उसी प्रकार प्रवर्तन में बना रहेगा और इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसी विधि के अधीन की गई कोई नियुक्ति, जारी की गई अधिसूचना, बनाया गया नियम, किया गया आदेश, रजिस्ट्रीकरण, जारी की गई अनुज्ञप्ति, दिया गया प्रमाणपत्र, दी गई सूचना, किया गया विनिश्चय, दिया गया अनुमोदन, प्राधिकार या दी गई सहमति, यदि वह इस अधिनियम के प्रारंभ पर प्रवर्तन में है तो उसी प्रकार प्रवर्तन में बनी रहेगी तथा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, जारी की गई, दी गई, बनाया गया या दिया गया हो।

क्रमांक 3054–क/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLVII संख्यांक 1 में दिनांक 17 फरवरी, 2011 को प्रकाशित नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 23) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010

**(2010 का अधिनियम संख्यांक 23)**

**[18 अगस्त, 2010]**

**देश में नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम**

नैदानिक स्थापनों के, उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक विहित करने की दृष्टि से, रजिस्ट्रीकरण और विनियमन का उपबंध करना समीचीन समझा गया है, जिससे कि लोक स्वास्थ्य के सुधार के लिए संविधान के अनुच्छेद 47 के आदेश का पालन किया जा सके;

और, संसद् को, संविधान के अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में यथा उपबंधित के सिवाय, पूर्वोक्त में से किसी विषय के संबंध में राज्यों के लिए विधियां बनाने की शक्ति नहीं है;

और संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों के विधान-मंडलों के सभी सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित कर दिए गए हैं कि उन राज्यों में पूर्वोक्त विषयों को संसद् द्वारा, विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए;

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय 1

## प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षित नाम नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह, प्रथमत: संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होगा; और यह ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करता है।

(3) यह अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों में तुरंत प्रवृत्त होगा और संघ राज्यक्षेत्रों में उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और किसी ऐसे अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करे, उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस तारीख को यह अंगीकार किया जाता है और किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम में, इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है :

परंतु नैदानिक स्थापनों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों और भिन्न-भिन्न मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्राधिकारी" से धारा 10 के अधीन स्थापित जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "प्रमाणपत्र" से धारा 30 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ग) "नैदानिक स्थापन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय द्वारा, चाहे निगमित हो या नहीं, स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित ऐसा कोई अस्पताल, प्रसूति गृह, परिचर्या गृह, औषधालय, क्लीनिक, सेनिटोरियम या कोई संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में रुग्णता क्षति, विरूपता, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित निदान, उपचार या देखरेख की सेवाएं, सुविधाएं प्रदान करते हैं;

(ii) रोगों के निदान या उपचार के संबंध में उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी स्थापन की स्वतंत्र इकाई या उसके भाग के रूप में स्थापित कोई स्थान, जहां किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय द्वारा, चाहे निगमित हो या नहीं, सामान्यतया प्रयोगशाला या अन्य चिकित्सीय उपस्करों की सहायता से विकृतिजन्य, जीवाणु विज्ञान संबंधी, आनुवंशिकी, विकिरण चिकित्सा संबंधी, रासायनिक, जैविक अन्वेषण या अन्य निदान संबंधी अथवा अन्वेषण संबंधी सेवाएं चलाई जाती हैं, स्थापित और प्रशासित की जाती हैं या अनुरक्षित रखी जाती हैं,

और इसके अंतर्गत ऐसा नैदानिक स्थापन भी है, जो,—

(क) सरकार या सरकार के किसी विभाग;

(ख) किसी न्यास, चाहे लोक या निजी हो;

(ग) किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी निगम (जिसके अंतर्गत सोसाइटी भी है), चाहे सरकार के स्वामित्वाधीन हो या नहीं;

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकारी; और

(ङ) किसी एक डॉक्टर,

के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रबंधनाधीन है, किन्तु इसके अन्तर्गत सशस्त्र बलों के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रबंधनाधीन नैदानिक स्थापन नहीं है।

1950 का 46
1950 का 45
1957 का 62

**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजन के लिए, ''सशस्त्र बलों'' से सेना अधिनियम, 1950, वायुसेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन गठित बल अभिप्रेत हैं;

(घ) ''आपात चिकित्सा दशा'' से ऐसी चिकित्सा दशा अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी प्रकृति की पर्याप्त गंभीरता (जिसके अंतर्गत तीव्र दर्द भी है) के तीव्र लक्षणों से ही यह प्रकट होता है कि तुरंत चिकित्सा देखभाल के अभाव के परिणामस्वरूप,—

(i) व्यष्टि के स्वास्थ्य या किसी गर्भवती स्त्री या अजन्मे बालक के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने; या

(ii) शारीरिक सक्रियता को गंभीर क्षति होने; या

(iii) शरीर के किसी अंग या भाग में गंभीर दुष्क्रियता होने, की युक्तियुक्त रूप से संभावना हो सकती है;

(ङ) ''राष्ट्रीय परिषद्'' से धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद् अभिप्रेत है;

(च) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(छ) ''विहित'' से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) ''मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान पद्धति'' से, ऐलोपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति या कोई ऐसी अन्य आयुर्विज्ञान पद्धति अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाए;

(झ) ''रजिस्टर'' से इस अधिनियम की क्रमशः धारा 37, धारा 38 और धारा 39 के अधीन प्राधिकारी, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा रखा गया ऐसा रजिस्टर अभिप्रेत है, जिसमें रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापनों की संख्या अंतर्विष्ट है;

(ञ) ''रजिस्ट्रीकरण'' से धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करना अभिप्रेत है और रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकृत पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ट) ''नियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(ठ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) ''मानकों'' से वे शर्तें अभिप्रेत हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार धारा 12 के अधीन नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित करे;

(ढ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, ''राज्य सरकार'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है; और

(ण) खंड (घ) में विनिर्दिष्ट आपात चिकित्सा दशा के संबंध में, ''स्थिर करना (उसके व्याकरणीय रूपभेदों और सजातीय पदों सहित)'' से उस दशा का ऐसा चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराना अभिप्रेत है, जो युक्तियुक्त चिकित्सा संभाव्यताओं के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हो कि किसी नैदानिक स्थापन से व्यष्टि के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप या उसके दौरान दशा में कोई तात्विक ह्रास होने की संभावना नहीं है।

अध्याय 2

## राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद्

राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना।

3. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना की जाएगी।

(2) राष्ट्रीय परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(क) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) चार प्रतिनिधि, जिनमें से एक-एक प्रतिनिधि निम्नलिखित द्वारा निर्वाचित किया जाएगा,—

(i) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्; 1948 का 16

(ii) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्; 1956 का 102

(iii) भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय नर्स परिषद्; 1947 का 48

(iv) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद्; 1948 का 8

(ग) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले तीन प्रतिनिधि; 1970 का 48

(घ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि; 1973 का 59

(ङ) भारतीय चिकित्सा संगम केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि;

(च) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय मानक ब्यूरो का एक प्रतिनिधि; 1986 का 63

(छ) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित क्षेत्रीय परिषदों से दो प्रतिनिधि; 1956 का 37

(ज) पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् से दो प्रतिनिधि; 1971 का 84

(झ) उन पद्धतियों को छोड़कर, जिन्हें खंड (ख) के अधीन प्रतिनिधित्व दिया गया है परा-चिकित्सा पद्धतियों की पंक्ति से एक प्रतिनिधि;

(ञ) राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता समूह के दो प्रतिनिधि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ट) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी से संबंधित भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति संगम से एक प्रतिनिधि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए;

(ठ) भारतीय क्वालिटी परिषद् का महासचिव, पदेन।

(3) राष्ट्रीय परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्य, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, किंतु वे अधिकतम तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनःनामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(4) राष्ट्रीय परिषद् के निर्वाचित सदस्य, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, किंतु वे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे:

परंतु, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्ति, उस अवधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह केन्द्रीय परिषद् में नामनिर्देशित या निर्वाचित हुआ था।

(5) राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य ऐसे भत्तों के लिए हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(6) राष्ट्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, गणपूर्ति नियत करने और अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने तथा उसके द्वारा संव्यवहार किए जाने वाले सभी कारबार के संचालन के लिए उपविधियां बना सकेगी।

(7) राष्ट्रीय परिषद्, तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(8) राष्ट्रीय परिषद्, विशिष्ट विषयों पर विचार करने के लिए, उपसमितियों का गठन कर सकेगी और ऐसी उपसमितियों में, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्तियों को, जो परिषद् के सदस्य नहीं हैं, दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(9) राष्ट्रीय परिषद् के कृत्यों का, उसमें किसी रिक्ति के होते हुए भी, निर्वहन किया जा सकेगा।

(10) केन्द्रीय सरकार, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय परिषद् के सचिव के रूप में नियुक्त करेगी, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे और राष्ट्रीय परिषद् को ऐसे अन्य सचिवीय और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध करा सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं।

4. कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि,—

(क) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडित किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) वह विकृतचित्त का है और उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उस रूप में घोषित किया गया है; या

(घ) उसे सरकार की या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है; या

(ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में, उसका परिषद् में ऐसा वित्तीय या अन्य हित है, जिससे सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

राष्ट्रीय परिषद् के कृत्य।

5. राष्ट्रीय परिषद्—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष के भीतर नैदानिक स्थापनों का एक रजिस्टर संकलित और प्रकाशित करेगी;

(ख) नैदानिक स्थापनों को विभिन्न प्रवर्गों में वर्गीकृत करेगी;

(ग) न्यूनतम मानक और उनका आवधिक पुनर्विलोकन विकसित करेगी;

(घ) अपनी स्थापना से दो वर्ष की अवधि के भीतर, नैदानिक स्थापनों द्वारा उचित स्वास्थ्य देखरेख सुनिश्चित करने वाले मानकों के प्रथम सेट का अवधारण करेगी;

(ङ) नैदानिक स्थापनों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करेगी;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किसी अन्य कृत्य का पालन करेगी।

सलाह या सहायता लेने की शक्ति।

6. राष्ट्रीय परिषद्, किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगी, जिसकी सहायता या सलाह की, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के क्रियान्वयन में, वह वांछा करे।

राष्ट्रीय परिषद् द्वारा परामर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाना।

7. राष्ट्रीय परिषद्, मानकों का अवधारण करने और नैदानिक स्थापनों के वर्गीकरण के लिए, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, परामर्शी प्रक्रिया का पालन करेगी।

अध्याय 3

## नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण और उसके लिए मानक

राज्य नैदानिक स्थापन परिषद्।

8. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र नैदानिक स्थापन परिषद् का गठन करेगी।

(2) यथास्थिति, राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद्, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) सचिव, स्वास्थ्य — पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक — पदेन, सदस्य-सचिव;

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धतियों की विभिन्न शाखाओं के निदेशक — पदेन, सदस्य;

(घ) निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित किए जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधित्व—

(i) भारतीय राज्य चिकित्सा परिषद्;

(ii) भारतीय राज्य दन्त चिकित्सा परिषद्;

(iii) भारतीय राज्य नर्स परिषद्;

(iv) भारतीय राज्य भेषजी परिषद्;

(ङ) यथास्थिति, राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद् द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले आयुर्विज्ञान की आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन प्रतिनिधि;

(च) भारतीय चिकित्सा संगम की राज्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि;

(छ) परा-चिकित्सा पद्धतियों से एक प्रतिनिधि;

(ज) स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य स्तरीय उपभोक्ता समूहों या ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि।

(3) यथास्थिति, राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद् का नामनिर्देशित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, किंतु वह अधिकतम तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(4) यथास्थिति, राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद् के निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, किंतु वे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे:

परंतु , यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह उस पद की नियुक्ति धारण करता है, जिसके आधार पर उसे, यथास्थिति, राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद् के लिए नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया था।

(5) राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—

(क) राज्य नैदानिक स्थापन रजिस्टरों को संकलित और अद्यतन करना;

(ख) राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए मासिक विवरणियां भेजना;

(ग) राष्ट्रीय परिषद् में राज्य का प्रतिनिधित्व करना;

(घ) प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(ङ) अपने संबंधित राज्यों के भीतर मानकों को कार्यान्वित करने की स्थिति के संबंध में वार्षिक आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित करना।

राष्ट्रीय परिषद् को सूचना उपलब्ध कराना।

9. राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह नैदानिक स्थापनों के राज्य रजिस्टर को संकलित और अद्यतन करे और इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए अंकीय प्ररूप में मासिक विवरणियां भेजे।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण।

10. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के नाम से ज्ञात निम्नलिखित सदस्यों वाले एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी, अर्थात्:—

(क) जिला कलक्टर—अध्यक्ष;

(ख) जिला स्वास्थ्य अधिकारी—संयोजक;

(ग) ऐसी अर्हताओं वाले और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, तीन सदस्य।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 14 के अधीन नैदानिक स्थापनों के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चाहे जो भी नाम हो) उस प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण।

11. कोई व्यक्ति, किसी नैदानिक स्थापन को तभी चलाएगा, जब उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्त।

12. (1) प्रत्येक नैदानिक स्थापन, रजिस्ट्रीकरण और बने रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात्:—

(i) सुविधाओं और सेवाओं के ऐसे न्यूनतम मानक, जो विहित किए जाएं;

(ii) कार्मिकों की न्यूनतम अपेक्षाएं, जो विहित की जाएं;

(iii) अभिलेखों को रखने और रिपोर्ट करने के लिए उपबंध, जो विहित किए जाएं;

(iv) ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जाएं।

(2) नैदानिक स्थापन उपलब्ध कर्मचारिवृंद और सुविधाओं के भीतर ऐसी चिकित्सीय परीक्षा और उपचार उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व लेगा, जो ऐसे व्यष्टि की जो उस नैदानिक स्थापन में आता है या लाया जाता है, आपात चिकित्सीय दशा को स्थिर करने के लिए अपेक्षित हों।

नैदानिक स्थापनों का वर्गीकरण।

13. (1) भिन्न-भिन्न पद्धतियों के नैदानिक स्थापनों को उन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा, जो समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के वर्गीकरण के लिए भिन्न-भिन्न मानक विहित किए जा सकेंगे:

परंतु केन्द्रीय सरकार, नैदानिक स्थापनों के लिए मानक विहित करने में स्थानीय दशाओं का ध्यान रखेगी।

अध्याय 4

## रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन।

14. (1) धारा 10 के अधीन नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए, विहित प्ररूप में कोई आवेदन, विहित फीस के साथ, प्राधिकारी को किया जाएगा।

(2) आवेदन व्यक्तिगत रूप में या डाक द्वारा या ऑन लाइन फाइल किया जाएगा।

(3) आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसके साथ ऐसे ब्यौरे दिए जाएंगे, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं।

(4) यदि कोई नैदानिक स्थापन इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान है तो उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जा सकेगा और कोई ऐसा नैदानिक स्थापन, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् अस्तित्व में आया है, अपने स्थापन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(5) यदि कोई नैदानिक स्थापन, ऐसे स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करने वाली किसी विद्यमान विधि के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है, फिर भी वह उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

अनंतिम प्रमाणपत्र।

15. प्राधिकारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर, आवेदक को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां तथा ऐसी सूचना अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाएं, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा।

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण से पूर्व जांच का न किया जाना।

16. (1) प्राधिकारी, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किए जाने से पूर्व कोई जांच नहीं करेगा।

(2) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुदत्त होते हुए भी, प्राधिकारी अनंतिम रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर इस प्रकार अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापन की सभी विशिष्टियों को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित करवाएगा।

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता।

17. धारा 23 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से बारहवें मास के अंतिम दिन तक विधिमान्य होगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण नवीकरणीय होगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संप्रदर्शन।

18. प्रमाणपत्र को नैदानिक स्थापन में किसी सहजदृश्य स्थान पर, ऐसी रीति में चिपकाया जाएगा, जिससे वह उस स्थापन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए दृश्यमान हो।

प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति।

19. प्रमाणपत्र के खो जाने, नष्ट, विकृत या उसकी क्षति होने की दशा में, प्राधिकारी नैदानिक स्थापन के अनुरोध पर और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा।

प्रमाणपत्र का अहस्तांतरणीय होना।

20. (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय होगा।

(2) स्वामित्व या प्रबंधन के परिवर्तन की दशा में, नैदानिक स्थापन ऐसे परिवर्तन की, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्राधिकारी को सूचना देगा।

(3) प्रवर्ग या अवस्थान के परिवर्तन की दशा में या नैदानिक स्थापन के रूप में कार्य न करने पर, ऐसे नैदानिक स्थापन के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा और नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए नए सिरे से आवेदन करेगा।

रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति का प्रकाशन।

21. प्राधिकारी, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे नैदानिक स्थापनों के नाम जिनका रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो गया है, प्रकाशित करवाएगा।

रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण।

22. रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता

की समाप्ति से तीस दिन पूर्व किया जाएगा और अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पश्चात्, नवीकरण के लिए आवेदन किए जाने की दशा में, प्राधिकारी, ऐसी वर्धित फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण अनुज्ञात करेगा।

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए समय-सीमा।

23. ऐसे नैदानिक स्थापन को, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मानकों को अधिसूचित किया गया है, निम्नलिखित अवधि से परे अनंतिम प्रमाणपत्र अनुदत्त या नवीकृत नहीं किया जाएगा:—

(i) ऐसे नैदानिक स्थापनों की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अस्तित्व में आए हैं, मानकों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि;

(ii) ऐसे नैदानिक स्थापनों के लिए, मानकों की अधिसूचना से दो वर्ष की अवधि, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् और मानकों की अधिसूचना के पूर्व अस्तित्व में आए हैं; और

(iii) ऐसे नैदानिक स्थापनों के लिए, जो मानकों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् अस्तित्व में आएं हों, मानकों की अधिसूचना की तारीख से छह मास की अवधि।

स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

24. किसी नैदानिक स्थापन द्वारा स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए।

आवेदन का सत्यापन।

25. नैदानिक स्थापन, विहित न्यूनतम मानकों का, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुपालन किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

आक्षेप फाइल करने के लिए सूचना का संप्रदर्शन।

26. नैदानिक स्थापन द्वारा, इस बात का अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर कि विहित न्यूनतम मानकों का अनुपालन किया गया है, यथाशीघ्र, प्राधिकारी, विहित न्यूनतम मानकों का अनुपालन किए जाने के बारे में उस नैदानिक स्थापन द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों को, स्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व तीस दिन की अवधि के लिए, जनसाधारण की जानकारी के लिए और आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल करने के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संप्रदर्शित कराएगा।

आक्षेपों की संसूचना।

27. पूर्ववर्ती धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप प्राप्त होने की दशा में, ऐसे आक्षेपों को, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रत्युत्तर के लिए नैदानिक स्थापन को संसूचित किया जाएगा।

स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए मानक।

28. स्थायी रजिस्ट्रीकरण केवल तभी अनुदत्त किया जाएगा, जब कोई नैदानिक स्थापन केन्द्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित मानकों को पूरा करेगा।

रजिस्ट्रीकरण का मंजूर या नामंजूर किया जाना।

29. प्राधिकारी, विहित अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् और तत्पश्चात् आगामी तीस दिन के भीतर,—

(क) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को मंजूर करने; या

(ख) आवेदन को नामंजूर करने,

का आदेश पारित करेगा:

परंतु प्राधिकारी, यदि स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन को नामंजूर करता है तो वह उसके कारण अभिलिखित करेगा।

स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र।

30. (1) प्राधिकारी यदि नैदानिक स्थापन का आवेदन मंजूर करता है तो वह, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाएं, स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) प्रमाणपत्र, जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा 18, धारा 19, धारा 20 और धारा 21 के उपबंध भी लागू होंगे।

(4) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से पूर्व छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा और यदि नवीकरण का आवेदन

अनुबंधित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण ऐसी वर्धित फीस और शास्तियों के संदाय पर, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण अनुज्ञात कर सकेगा।

स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन।

31. स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का नामंजूर किया जाना, नैदानिक स्थापन को, धारा 24 के अधीन और उन कमियों का सुधार किए जाने, जिनके आधार पर पूर्ववर्ती आवेदन नामंजूर किया गया था, के बारे में ऐसा साक्ष्य उपलब्ध कराने के पश्चात्, जो अपेक्षित हो, स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करने से वर्जित नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना।

32. (1) यदि किसी नैदानिक स्थापन को रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात्, किसी समय, प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; या

(ख) नैदानिक स्थापन के प्रबंध से न्यस्त व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,

तो वह नैदानिक स्थापन को यह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण, सूचना में उल्लिखित किए जाने वाले कारणों से क्यों न रद्द कर दिया जाए।

(2) यदि नैदानिक स्थापन को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का या उसके अधीन बनाए गए नियमों का भंग हुआ है तो वह, आदेश द्वारा ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उस नैदानिक स्थापन के विरुद्ध कर सकता है, उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश,—

(क) जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, वहां ऐसी अपील के लिए विहित अवधि की ठीक समाप्ति पर; और

(ख) जहां ऐसी अपील की गई है और खारिज कर दी गई है, वहां ऐसे खारिज किए जाने के आदेश की तारीख से,

प्रभावी होगा:

परन्तु यदि रोगियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर आसन्न संकट है तो, प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने के पश्चात्, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, नैदानिक स्थापन को कार्य करने से तुरन्त अवरुद्ध कर सकेगा।

रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापनों का निरीक्षण।

33. (1) प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, किसी रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापन, उसके भवन, प्रयोगशालाओं और उपस्कर के संबंध में तथा नैदानिक स्थापन द्वारा संचालित या किए गए कार्य का भी, ऐसे बहु-सदस्यीय दल द्वारा, जैसा वह निदेश करे, निरीक्षण या जांच कराने और नैदानिक स्थापन से संबद्ध किसी अन्य विषय के संबंध में जांच कराने का अधिकार होगा और वहां स्थापन प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा।

(2) प्राधिकरण ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों के संबंध में उस प्राधिकारी के विचार नैदानिक स्थापन को संसूचित करेगा और उस पर नैदानिक स्थापन की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के बारे में उस स्थापन को सलाह दे सकेगा।

(3) नैदानिक स्थापन, प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई की, यदि कोई हो, रिपोर्ट देगा, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों के बारे में किए जाने के लिए प्रस्थापित है या की गई है, और ऐसी रिपोर्ट, ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जो प्राधिकारी निदेश दे।

(4) जहां नैदानिक स्थापन, युक्तियुक्त समय के भीतर, प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है वहां वह नैदानिक स्थापन द्वारा किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार

के पश्चात्, ऐसे समय के भीतर जो निदेश में उपदर्शित हो ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, वह प्राधिकारी ठीक समझे और नैदानिक स्थापन ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति।

34. प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि यह संदेह करने का कारण है कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के बिना नैदानिक स्थापन चला रहा है, किसी युक्तियुक्त समय पर, विहित रीति में, वहां प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और नैदानिक स्थापन निरीक्षण या जांच के लिए युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा और वहां प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा:

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा करने के अपने आशय की सूचना दिए बिना नैदानिक स्थापन में प्रवेश नहीं करेगा।

राज्य सरकार द्वारा फीस का उद्ग्रहण।

35. राज्य सरकार, भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के नैदानिक स्थापनों के लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगी, जो विहित की जाए।

अपील।

36. (1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अनुदत्त या नवीकृत करने से इंकार करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, राज्य परिषद् को अपील कर सकेगा:

परन्तु राज्य परिषद्, विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् की गई किसी अपील को ग्रहण कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से समय पर अपील फाइल करने से निवारित हुआ था।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए।

## अध्याय 5

## नैदानिक स्थापनों का रजिस्टर

नैदानिक स्थापनों का रजिस्टर।

37. (1) प्राधिकरण, उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापनों का, उसकी स्थापना से दो वर्ष की अवधि के भीतर संकलन, प्रकाशन और अंकीय प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा और वह इस प्रकार जारी किए गए प्रमाणपत्र की विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(2) प्रत्येक प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए गठित कोई अन्य प्राधिकरण भी है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नैदानिक स्थापनों के रजिस्टर में की गई प्रत्येक प्रविष्टि की अंकीय प्ररूप में एक प्रति राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् को भेजेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य रजिस्टर को, राज्य में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रखे गए रजिस्टरों से सतत् रूप से अद्यतन किया जाता है।

राज्य नैदानिक स्थापन रजिस्टर का रखा जाना।

38. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, उस राज्य में नैदानिक स्थापनों के संबंध में, अंकीय और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, राज्य नैदानिक स्थापन रजिस्टर नामक एक रजिस्टर रखेगी।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार, नैदानिक स्थापनों के राज्य रजिस्टर की अंकीय प्ररूप में एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगी और ऐसे रजिस्टर में किए गए सभी परिवर्धनों और अन्य संशोधनों की सूचना किसी विशिष्ट मास के लिए आगामी मास की पंद्रह तारीख तक केन्द्रीय सरकार को देगी।

राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन रजिस्टर का रखा जाना।

39. केन्द्रीय सरकार, अंकीय प्ररूप में राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन रजिस्टर नामक एक अखिल भारतीय रजिस्टर रखेगी, जो राज्य सरकारों द्वारा रखे गए नैदानिक स्थापनों के राज्य रजिस्टर का समामेलन होगा और उसे अंकीय प्ररूप में प्रकाशित करवाएगी।

## अध्याय 6

## शास्तियां

शास्ति।

40. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, यदि कहीं और किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है तो प्रथम अपराध के लिए ऐसी धनीय शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, किसी दूसरे अपराध के लिए ऐसी धनीय शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ऐसी धनीय शास्ति से, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

अरजिस्ट्रीकरण के लिए धनीय शास्ति।

41. (1) जो कोई रजिस्ट्रीकरण के बिना कोई नैदानिक स्थापन चलाएगा, दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रुपए तक की धनीय शास्ति से, दूसरे अपराध के लिए ऐसी धनीय शास्ति से, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ऐसी धनीय शास्ति से, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी नैदानिक स्थापन में सेवा करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं है, ऐसी धनीय शास्ति से, जो पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण, कोई धनीय शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबंधित किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् विहित रीति में जांच करेगा।

(4) प्राधिकरण को, जांच करते समय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुभिज्ञ किसी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जो प्राधिकरण की राय में जांच के लिए उपयोगी हो या उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत हो, समन करने और उपस्थित कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति धारा 42 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह आदेश द्वारा, आदेश किए जाने के तीस दिन के भीतर धारा 42 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट खाते में जमा की जाने वाली उन उपधाराओं में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(5) धनीय शास्ति की मात्रा का अवधारण करते समय प्राधिकरण नैदानिक स्थापन के प्रवर्ग, विस्तार और स्वरूप तथा उस क्षेत्र की स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखेगा, जिसमें स्थापन स्थित है।

(6) प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त विनिश्चय की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर राज्य परिषद् को अपील कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट अपील फाइल करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए।

निदेश की अवहेलना करना, बाधा पहुंचाना और सूचना देने से इंकार।

42. (1) जो कोई, ऐसे किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिए गए किसी निदेश की, जिसे इस अधिनियम के अधीन ऐसा निदेश देने के लिए सशक्त किया गया है, जानबूझकर अवहेलना करेगा या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, ऐसे किसी कृत्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा, जिसका निर्वहन करने के लिए ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपेक्षित है या सशक्त किया गया है, धनीय शास्ति से, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई सूचना देने के लिए अपेक्षित होते हुए भी, जानबूझकर ऐसी सूचना को रोकेगा या ऐसी सूचना देगा, जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है या जिसके बारे में उसे यह विश्वास है कि वह सही नहीं है, धनीय शास्ति से, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण, कोई धनीय शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबंधित किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात विहित रीति में जांच करेगा।

(4) प्राधिकरण को, जांच करते समय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुंभिज्ञ किसी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जो प्राधिकरण की राय में जांच के लिए उपयोगी हो या उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत हो, समन करने और उपस्थित कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह आदेश द्वारा, आदेश किए जाने के तीस दिन के भीतर उपधारा (8) में निर्दिष्ट खाते में जमा की जाने वाली उन उपधाराओं में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(5) धनीय शास्ति की मात्रा का अवधारण करते समय, प्राधिकरण, नैदानिक स्थापन के प्रवर्ग, आकार और किस्म तथा उस क्षेत्र की स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखेगा, जिसमें स्थापन स्थित है।

(6) प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त विनिश्चय की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर राज्य परिषद् को अपील कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट अपील फाइल करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए।

(8) धारा 41 और धारा 42 के अधीन उद्गृहीत धनीय शास्ति उस खाते में जमा की जाएगी जो राज्य सरकार आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

गौण-त्रुटियों के लिए शास्ति।

43. जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी त्रुटियां होती हैं, जिससे किसी रोगी के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कोई आसन्न संकट नहीं पड़ता है और जिन्हें युक्तियुक्त समय के भीतर सुधारा जा सकता है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा उल्लंघन।

44. (1) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय, उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और जुर्माने के लिए भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह उल्लंघन, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस उल्लंघन का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और जुर्माने के लिए भागी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से, उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

सरकारी विभागों द्वारा अपराध।

45. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए भागी होगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे विभागाध्यक्ष को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए भागी होगा।

जुर्माने की वसूली।

46. जो कोई जुर्माने का संदाय करने में असफल रहेगा, राज्य नैदानिक स्थापन परिषद्, ऐसे व्यक्ति से शोध्य जुर्माने को विनिर्दिष्ट करते हुए, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार कर सकेगी और उस जिले के, जिसमें ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन कोई संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, कलक्टर को भेज सकेगी और उक्त कलक्टर, ऐसे प्रमाणपत्र को प्राप्त करने पर, उसमें विनिर्दिष्ट रकम की उस व्यक्ति से इस प्रकार वसूली करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

## अध्याय 7

## प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

47. (1) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राष्ट्रीय परिषद् या राज्य परिषद् के किसी प्राधिकारी या किसी सदस्य या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण हुई या होने के लिए संभावित किसी हानि या नुकसानी के संबंध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध नहीं होगी।

विवरणियों, आदि का दिया जाना।

48. प्रत्येक नैदानिक स्थापन, ऐसे समय के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जो उस निमित्त विहित किया जाए, प्राधिकारी या राज्य परिषद् या राष्ट्रीय परिषद् को ऐसी विवरणियां या आंकड़े और अन्य जानकारी, ऐसी रीति में, जो समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, देगा।

निदेश देने की शक्ति।

49. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण को ऐसे निदेश, जिसके अंतर्गत नैदानिक स्थापनों के सम्यक्, कार्यकरण के लिए विवरणियां, आंकड़े और अन्य जानकारी प्रस्तुत करना भी है, जारी करने की शक्ति होगी और ऐसे निदेश आबद्धकर होंगे।

प्राधिकरण के कर्मचारियों, आदि का लोक सेवक होना।

50. प्राधिकरण और राष्ट्रीय परिषद् और राज्य परिषद् के प्रत्येक कर्मचारी के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं। 1860 का 45

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

51. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

52. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी उपबंध को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों के भत्ते;

(ख) धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य समिति के सचिव के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति;

(ग) धारा 7 के अधीन नैदानिक स्थापनों के वर्गीकरण के लिए मानकों का अवधारण;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्राधिकरण के सदस्यों की अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन वह प्रक्रिया, जिसके अधीन नैदानिक स्थापन के अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा;

(च) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक;

(छ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन कार्मिकों की न्यूनतम संख्या;

(ज) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन नैदानिक स्थापन द्वारा अभिलेखों का रखा जाना और रिपोर्ट करना;

(झ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (iv) के अधीन नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण और बने रहने के लिए अन्य शर्तें;

(ञ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन नैदानिक स्थापनों का वर्गीकरण;

(ट) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन नैदानिक स्थापनों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न मानक;

(ठ) धारा 28 के अधीन स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम मानक;

(ड) धारा 38 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप और उसमें अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां।

नियमों का रखा जाना।

53. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, परन्तु, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

54. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन विषयों के संबंध में, जो धारा 52 की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्रियान्वित किए जाने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित या सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप और उसके लिए संदत्त की जाने वाली फीस;

(ख) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन का प्ररूप और ब्यौरे;

(ग) धारा 15 के अधीन अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट विशिष्टियां और सूचना;

(घ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित नैदानिक स्थापन की सभी विशिष्टियों के प्रकाशन की रीति;

(ङ) धारा 19 के अधीन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए संदत्त की जाने वाली फीस;

(च) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नैदानिक स्थापन द्वारा स्वामित्व या प्रबंध के परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को सूचित किया जाना;

(छ) धारा 21 के अधीन वह रीति, जिसमें प्राधिकरण उन नैदानिक स्थापनों के नाम प्रकाशित करेगा, जिनका रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो जाएगा;

(ज) धारा 22 के अधीन अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पश्चात् नवीकरण के लिए प्रभारित की जाने वाली वर्धित फीस;

(झ) धारा 24 के अधीन आवेदन का प्ररूप और राज्य सरकार द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ञ) धारा 25 के अधीन नैदानिक स्थापनों द्वारा न्यूनतम मानकों का अनुपालन किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की रीति;

(ट) धारा 26 के अधीन आक्षेप फाइल करने के लिए, नैदानिक स्थापनों द्वारा न्यूनतम मानकों का अनुपालन किए जाने के बारे में सूचना संप्रदर्शित करने की रीति;

(ठ) धारा 29 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति;

(ड) धारा 30 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप और विशिष्टियां;

(ढ) वह अवधि जिसके भीतर धारा 32 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अपील की जाएगी;

(ण) धारा 34 के अधीन नैदानिक स्थापन में प्रवेश करने और तलाशी लेने की रीति;

(त) धारा 35 के अधीन नैदानिक स्थापनों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस;

(थ) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके भीतर, कोई अपील राज्य परिषद् को की जा सकेगी;

(द) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अपील का प्ररूप और उसके लिए संदत्त की जाने वाली फीस;

(ध) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें रजिस्टर रखा जाएगा;

(न) धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन नैदानिक स्थापनों के रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को अंकीय प्ररूप में राज्य परिषद् को प्रदाय करने की रीति;

(प) धारा 41 की उपधारा (3) और धारा 42 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जांच करने की रीति;

(फ) धारा 41 की उपधारा (7) और धारा 42 के अधीन अपील फाइल करने की रीति;

(ब) धारा 48 के अधीन वह रीति, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर सूचना, यथास्थिति, प्राधिकरण या राज्य परिषद् या राष्ट्रीय परिषद् को दी जानी है;

(भ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

नियमों का रखा जाना।

55. इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के, जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के या जहां उस विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

व्यावृत्ति।

56. (1) इस अधिनियम के उपबंध उन राज्यों को लागू नहीं होंगे, जिनमें अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां लागू होती हैं:

परंतु उन राज्यों में, जिनमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियां लागू होती हैं और ऐसे राज्यों में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करते हैं, इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार अंगीकार किए जाने के पश्चात् उस राज्य में लागू होंगे।

(2) केंद्रीय सरकार, जब कभी आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।

## अनुसूची

(धारा 56 देखिए)

1. आंध्र प्रदेश प्राइवेट मेडिकल केयर एस्टेबलिशमेन्ट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2002

2. बोम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1949

3. दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1953

4. मध्य प्रदेश उपचर्या गृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973

5. मणिपुर होम्स एंड क्लीनिक्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1992

6. नागालैंड हेल्थ केयर एस्टेबलिशमेन्ट्स ऐक्ट, 1997

7. उड़ीसा क्लीनिकल एस्टेबलिशमेन्ट्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1990

8. पंजाब स्टेट नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1991

9. वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेबलिशमेन्ट्स ऐक्ट, 1950

क्रमांक 3054—क/21—अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLVII संख्यांक 1 में दिनांक 17 फरवरी, 2011 को प्रकाशित औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 24) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010

**(2010 का अधिनियम संख्यांक 24)**

[18 अगस्त, 2010]

**औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1947 का 14

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) में,—

(क) उपखंड (i) में, "महापत्तन से सम्पृक्त औद्योगिक विवाद के संबंध में, केन्द्रीय सरकार, तथा" शब्दों के स्थान पर, "महापत्तन, ऐसी किसी कंपनी, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित ऐसे किसी निगम, जो इस खंड में निर्दिष्ट निगम नहीं है या केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, प्रमुख उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्वशासी निकायों से संम्पृक्त औद्योगिक विवाद के संबंध में, केन्द्रीय सरकार, तथा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) किसी अन्य औद्योगिक विवाद के संबंध में, जिसके अंतर्गत राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम, प्रमुख उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्वशासी निकायों से संबंधित विवाद भी है, राज्य सरकार:

परन्तु यह कि किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में, जहां ऐसा विवाद पहली बार हुआ था, किसी ठेकेदार और ठेकेदार के माध्यम से नियोजित ठेका श्रम के बीच किसी विवाद के मामले में, समुचित सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार होगी, जिसका ऐसे औद्योगिक स्थापन पर नियंत्रण है।"।

(ii) खंड (ध) के उपखंड (iv) में, "एक हजार छह सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 2क का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2क को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई कर्मकार, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, उस तारीख से, जिसको उसने विवाद के सुलह के लिए समुचित सरकार के सुलह अधिकारी को आवेदन किया है, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् उसमें निर्दिष्ट विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय या अधिकरण को सीधे आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर श्रम न्यायालय या अधिकरण को विवाद के संबंध में न्यायनिर्णयन करने की शक्तियां और अधिकारिता ऐसे होंगी, मानो वह समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे निर्देशित किया गया विवाद हो और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे न्यायनिर्णयन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे समुचित सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए गए किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में लागू होते हैं।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन श्रम न्यायालय या अधिकरण को उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदभारमुक्ति, पदच्युति, छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा।"।

धारा 7 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) में, खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(च) ऐसा उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो, जिसके पास विधि में डिग्री और श्रम विभाग में कम-से-कम सात वर्ष का अनुभव हो, जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव भी है:

परन्तु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता है; या

(छ) भारतीय विधिक सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी न हो या न रह चुका हो और उसके पास उस श्रेणी में तीन वर्ष का अनुभव न हो।"।

धारा 7क का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (3) में खंड (ककक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ख) ऐसा उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो, जिसके पास विधि में डिग्री और श्रम विभाग में कम-से-कम सात वर्ष का अनुभव हो, जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव भी है:

परन्तु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता है; या

(ग) भारतीय विधिक सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी न हो या न रह चुका हो और उसके पास उस श्रेणी में तीन वर्ष का अनुभव न हो।''।

अध्याय 2ख के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 9ख के पश्चात्, अध्याय 2ख के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:—

''अध्याय 2ख

## शिकायत प्रतितोषण तंत्र

शिकायत प्रतितोषण तंत्र की स्थापना।

**9ग.** (1) ऐसे प्रत्येक औद्योगिक स्थापन में, जिसमें बीस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, व्यष्टिक शिकायतों से उद्भूत होने वाले विवादों के हल के लिए एक या अधिक शिकायत प्रतितोषण समिति होगी।

(2) शिकायत प्रतितोषण समिति नियोजक और कर्मकारों से बराबर संख्या में सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(3) शिकायत प्रतितोषण समिति के अध्यक्ष का चयन नियोजक से और कर्मकारों में से आनुकल्पिक रूप में प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में किया जाएगा।

(4) शिकायत प्रतितोषण समिति के सदस्यों की कुल संख्या छह से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि शिकायत प्रतितोषण समिति में दो सदस्य हैं तो यथासाध्य एक महिला सदस्य होगी और यदि सदस्यों की संख्या दो से अधिक है तो महिला सदस्यों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकेगी।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, शिकायत प्रतितोषण समिति के गठन से उसी विषय के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन औद्योगिक विवाद उठाने के कर्मकार के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(6) शिकायत प्रतितोषण समिति, व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर तीस दिन के भीतर अपनी कार्यवाहियों को पूरा कर सकेगी।

(7) ऐसा कर्मकार, जो शिकायत प्रतितोषण समिति के विनिश्चय से व्यथित है, शिकायत प्रतितोषण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध नियोजक को अपील कर सकेगा और नियोजक, ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, उसका निपटारा करेगा और अपने विनिश्चय की एक प्रति संबंधित कर्मकार को भेजेगा।

(8) इस धारा की कोई बात ऐसे कर्मकार को लागू नहीं होगी, जिसके लिए संबंधित स्थापन में स्थापित एक शिकायत प्रतितोषण तंत्र है।''।

धारा 11 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(9) श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा दिए गए प्रत्येक पंचाट, जारी किए गए आदेश या उसके समक्ष किए गए समझौते का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

1908 का 5

(10) यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण किसी पंचाट, आदेश या समझौते को, अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारेषित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस पंचाट, आदेश या समझौते का निष्पादन ऐसे करेगा मानो वह उसके द्वारा पारित की गई कोई डिक्री हो।''।

धारा 38 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (कख) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) श्रम न्यायालय, अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी नियुक्ति के लिए निर्बंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत न्यायालयों, बोर्डों के सदस्यों और असेसरों तथा साक्षियों को अनुज्ञेय भत्ते भी हैं;"।

क्रमांक 3054–क/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLVII संख्यांक 1 में दिनांक 17 फरवरी, 2011 को प्रकाशित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 32) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 32)

[4 सितंबर, 2010]

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह 15 मई, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

नई धारा 3क, धारा 3ख और धारा 3ग का अंत:स्थापन।

1956 का 102

2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

केंद्रीय सरकार की परिषद् को अतिष्ठित करने और शासी बोर्ड का गठन करने की शक्ति।

'3क. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारंभ की तारीख से ही परिषद् अतिष्ठित हो जाएगी और परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पद रिक्त कर देंगे तथा उनका किसी भी प्रकार के किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं होगा।

(2) परिषद् का पुनर्गठन, उपधारा (1) के अधीन परिषद् के अतिष्ठित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, धारा 3 के उपबंधों के अनुसार, किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन परिषद् के अतिष्ठित किए जाने पर और धारा 3 के अनुसार, एक नई परिषद् का गठन किए जाने तक, उपधारा (4) के अधीन गठित शासी बोर्ड इस अधिनियम के अधीन परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा।

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, शासी बोर्ड का गठन करेगी, जो उसके सदस्यों के रूप में सात से अनधिक ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जो औषध और आयुर्विज्ञान शिक्षा के क्षेत्रों में विख्यात और अनाधिक्षेपणीय सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे और जो या तो नामनिर्दिष्ट सदस्य या पदेन सदस्य हो सकेंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से एक सदस्य को केंद्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्य ऐसी बैठक फीस और यात्रा तथा अन्य भत्तों के लिए हकदार होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

(6) शासी बोर्ड ऐसे समय और स्थानों पर बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का अनुपालन करेगा, जो परिषद् को लागू होते हैं।

(7) शासी बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके दो-तिहाई सदस्यों से मिलकर होगी।

(8) शासी बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होंगी कि,—

(क) शासी बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) शासी बोर्ड की प्रक्रिया में मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाली कोई अनियमितता है।

(9) ऐसा कोई सदस्य, जिसका शासी बोर्ड के समक्ष विनिश्चय के लिए आने वाले किसी मामले में कोई वित्तीय या अन्य हित है, मामले में अपने हित को प्रकट करेगा, यदि शासी बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जाता है तो वह ऐसी कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व उस मामले में अपने हित को प्रकट कर सकेगा।

(10) शासी बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य, केंद्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

अधिनियम के कतिपय उपांतरण।

3ख. उस अवधि के दौरान, जब परिषद् अतिष्ठित हो जाती है,—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का यह अर्थ लगाया जाएगा मानो "परिषद्" शब्द के स्थान पर, "शासी बोर्ड" शब्द रखे गए हों;

(ख) शासी बोर्ड,—

(i) इस अधिनियम के अधीन परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा और इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंध ऐसे उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे कि उसमें परिषद् के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह शासी बोर्ड के प्रति निर्देश हैं;

(ii) नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करने या धारा 10क में निर्दिष्ट कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ करने या किसी नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में प्रवेश क्षमता बढ़ाने या संबद्ध व्यक्ति या महाविद्यालय को धारा 10क के अधीन केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उस धारा के अधीन यथा उपबंधित सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत उसे अंतिम रूप से अनुमोदित या अननुमोदित करने की शक्ति भी है;

(iii) धारा 10क के अधीन केंद्रीय सरकार के पास लंबित मामलों का, उससे उनकी प्राप्ति पर निपटारा करेगा।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

3ग. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी बोर्ड या परिषद् उसके पुनर्गठन के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में और अपने कृत्यों के पालन में, तकनीकी और प्रशासनिक विषयों से संबंधित प्रश्नों से भिन्न नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केंद्रीय सरकार, उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे:

परंतु शासी बोर्ड या परिषद् को, उसके पुनर्गठन के पश्चात्, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करने का यथासाध्य अवसर दिया जाएगा।

(2) क्या कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं इस संबंध में केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।'।

निरसन और व्यावृत्ति।

2010 का अध्यादेश संख्यांक 2

3. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2010 का अध्यादेश संख्यांक 2

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

क्रमांक 3054–क/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLVII संख्यांक 1 में दिनांक 17 फरवरी, 2011 को प्रकाशित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 34) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

**(2010 का अधिनियम संख्यांक 34)**

**[8 सितम्बर, 2010]**

**खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

नई धारा 11क का अंत:स्थापन।

1957 का 67

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कोयले या लिग्नाइट के संबंध में प्रक्रिया।

11क. केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसमें कोयला या लिग्नाइट अन्तर्विष्ट है, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, प्रतियोगी

बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से, ऐसी किसी कंपनी का चयन कर सकेगी, जो—

(i) लोहे तथा इस्पात के उत्पादन;

(ii) विद्युत के उत्पादन;

(iii) किसी खान से अभिप्राप्त कोयले की धावन; या

(iv) ऐसे अन्य अंतिम उपयोग, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,

में लगी हुई है और राज्य सरकार, कोयला या लिग्नाइट के संबंध में ऐसा भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा ऐसी कंपनी को अनुदत्त करेगी, जिसका इस धारा के अधीन प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से चयन किया जाता है:

परन्तु प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी कोयला या लिग्नाइट वाले किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं होगी,—

(क) जहां ऐसे क्षेत्र पर किसी सरकारी कंपनी या निगम को खनन या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए आबंटन हेतु विचार किया जाता है;

(ख) जहां ऐसे क्षेत्र पर ऐसी किसी कंपनी या निगम को, जिसे टैरिफ के लिए प्रतियोगी बोलियों के आधार पर कोई विद्युत परियोजना (जिसमें अति बृहत् विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं) प्रदान की गई है, आबंटन के लिए विचार किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''कंपनी'' से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसमें उस अधिनियम की धारा 591 के अर्थ के भीतर कोई विदेशी कंपनी भी सम्मिलित है।'। 1956 का 1

धारा 13 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(घ) धारा 11क के अधीन कंपनी का चयन करने के लिए प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के निबंधन और शर्तें;''।

क्रमांक 3054–क/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLVII संख्यांक 1 में दिनांक 17 फरवरी, 2011 को प्रकाशित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 36) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 36)

[21 सितम्बर, 2010]

**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1950 का 43

नई धारा 20क का अंत:स्थापन।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

भारत से बाहर निवास कर रहे भारत के नागरिकों के लिए विशेष उपबंध।

"20क. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत का ऐसा प्रत्येक नागरिक,—

(क) जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है;

(ख) जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है; और

(ग) जो भारत में अपने मामूली निवास-स्थान से, अपने नियोजन, शिक्षा या अन्यथा भारत से बाहर रहने के कारण अनुपस्थित रहा है (चाहे अस्थायी रूप से है या नहीं),

ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र की, जिसमें भारत में उसका ऐसा निवास-स्थान जो उसके पासपोर्ट में उल्लिखित है, अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने का हकदार होगा।

(2) वह समय, जिसके भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और उपधारा (1) के अधीन निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति को, यदि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अन्यथा पात्र है, उस निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले किसी निर्वाचन में मतदान करने की अनुज्ञा दी जाएगी।''।

धारा 22 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(क) ''अध्यधीन रहते हुए'' शब्दों के पश्चात् ''तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

(ख) परन्तुक में, ''सम्पृक्त व्यक्ति को'' शब्दों के पश्चात् ''तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 23 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) में,—

(क) ''हकदार है तो'' शब्दों के पश्चात् ''तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) परन्तुक में, ''इत्तिला प्राप्त होने पर'' शब्दों के पश्चात्, ''तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 28 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) में खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(जज) धारा 22 के अधीन निर्वाचक नामावलियों में किसी प्रविष्टि का संशोधन करने, उसे अन्यत्र रखने या लोप करने के लिए तथ्यों के समुचित सत्यापन की प्रक्रिया;

(जजज) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचक नामावलियों में नामों को सम्मिलित करने या काटने के लिए तथ्यों के समुचित सत्यापन की प्रक्रिया।''।

क्रमांक 3055/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राज़पत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLVII संख्यांक 2 में दिनांक 22 मार्च, 2011 को प्रकाशित ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 28) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 28)

[24 अगस्त, 2010]

**ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

धारा 2 का संशोधन। 2001 का 52 2. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) में, "ऐसा संपरीक्षक अभिप्रेत है, जिसके पास धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (त) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं" शब्दों के स्थान पर "धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (त) के उपबंधों के अनुसार प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक अभिप्रेत है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "धारा 30 के अधीन स्थापित" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 30 में निर्दिष्ट" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ग) "भवन" से धारा 14 के खंड (त) और धारा 15 के खंड (क) के अधीन ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता से संबंधित नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् ऐसी कोई संरचना या परिनिर्माण अथवा संरचना या परिनिर्माण का भाग अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कोई विद्यमान संरचना या परिनिर्माण अथवा संरचना या परिनिर्माण का भाग भी है जिसमें 100 किलोवाट (के डब्ल्यू) का संयोजित भार या 120 किलोवाट ऐम्पियर (केवीए) और उससे अधिक की मांग संविदा है तथा जिसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है;';

(iv) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(डक) ''ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र'' से धारा 14क की उपधारा (1) के अधीन अभिहित उपभोक्ताओं को जारी किया गया कोई ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(डकक) ''उपस्कर या साधित्र'' से कोई ऐसा उपस्कर या साधित्र अभिप्रेत है जिसमें ऊर्जा की खपत, उत्पादन, पारेषण या प्रदाय होता है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसी युक्ति भी है जिसमें किसी रूप में ऊर्जा की खपत होती है और जो वांछित संकर्म करती है।'।

धारा 9 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) में ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''पांच वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में ''केन्द्रीय सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''ब्यूरो,'' शब्द रखा जाएगा।

धारा 13 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में,—

(i) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(कक) धारा 14क के अधीन ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;'';

(ii) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(त) विनियमों द्वारा, ऐसी अर्हताएं, मानदंड और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति ऊर्जा संपरीक्षक के रूप में प्रत्यायित हो सकेगा और ऐसे प्रत्यायन के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;'';

(iii) खंड (द) में ''ऊर्जा प्रबंधकों'' शब्दों के स्थान पर ''ऊर्जा संपरीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) खंड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(धक) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा संपरीक्षकों का प्रमाणीकरण भी है, क्षमता निर्माण और सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए परीक्षा का संचालन करना;''।

धारा 14 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(i) खंड (ग) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु इस धारा के खंड (क) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उपस्कर या साधित्र के विनिर्माण या विक्रय या क्रय या आयात का प्रतिषेध करने वाली कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, बाजार शेयर और उपस्कर या साधित्र पर समाघात करने वाले प्रौद्योगिकीय विकास को ध्यान में रखते हुए और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पहले परंतुक में निर्दिष्ट छह मास की उक्त अवधि को छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी।'';

(ii) खंड (ङ) में ''ऊर्जा के किसी उपयोक्ता या उपयोक्ताओं के वर्ग को अभिहित उपभोक्ता के रूप में'' शब्दों के स्थान पर ''अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापनों में ऊर्जा के किसी उपयोक्ता या उपयोक्ताओं के वर्ग को अभिहित उपभोक्ता के रूप में'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) में ''ऊर्जा प्रबंधकों'' शब्दों के स्थान पर ''ऊर्जा संपरीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) खंड (ण) में "ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 14क और धारा 14ख का अंत:स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

"14क. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अभिहित उपभोक्ता को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी, जिसकी ऊर्जा की खपत उस प्रक्रिया के अनुसार जो विहित की जाए, विहित मानों और मानकों से कम है।

(2) ऐसा अभिहित उपभोक्ता, जिसकी ऊर्जा खपत विहित मानों या मानकों से अधिक है, विहित मानों और मानकों का अनुपालन करने के लिए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र क्रय करने का हकदार होगा।

ऊर्जा का मूल्य विनिर्दिष्ट करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

14ख. केन्द्रीय सरकार, ब्यूरो के परामर्श से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपभोग की गई ऊर्जा के समतुल्य तेल का प्रति मीटरी टन मूल्य विहित कर सकेगी।"।

धारा 26 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "या खंड (ढ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ii) "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) यदि कोई व्यक्ति, धारा 14 के खंड (ढ) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का जो दस लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी और असफलता जारी रहने की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति का जो इस अधिनियम के अधीन विहित ऊर्जा के समतुल्य तेल के प्रति मीटरी टन मूल्य से कम की नहीं होगी, अर्थात्, जो विहित मानकों से अधिक होगी, दायी होगा।"।

धारा 30 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

2003 का 36

अपील अधिकरण।

"30. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 110 के अधीन स्थापित अपील अधिकरण, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण होगा और इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा।"।

नई धारा 31क का अंत:स्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

2003 का 36

अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां।

"31क. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 120 से धारा 123 तक (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित अपील अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में, उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में उसको लागू होते हैं।"।

धारा 32 से धारा 43 का लोप।

11. मूल अधिनियम की धारा 32 से धारा 43 का लोप किया जाएगा।

धारा 54 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 54 में "अपील अधिकरण का अध्यक्ष या अपील अधिकरण के सदस्य या अपील अधिकरण के अधिकारी अथवा कर्मचारी या राज्य आयोग के सदस्य या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 56 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ञ) में, "ऊर्जा प्रबंधकों" शब्दों के स्थान पर "ऊर्जा संपरीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ठक) धारा 14क की उपधारा (1) के अधीन ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया विहित करना;

(ठकक) धारा 14ख के अधीन उपभोग की गई ऊर्जा के समतुल्य तेल का प्रति मीटरी टन मूल्य;

(iii) खंड (ध), खंड (न) और खंड (प) का लोप किया जाएगा।

धारा 58 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(च) धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (त) के अधीन ऐसी अर्हताएं, मानदंड और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति ऊर्जा संपरीक्षक के रूप में प्रत्यायित हो सकेगा और ऐसे प्रत्यायन के लिए प्रक्रिया;";

(ख) खंड (ज) में "ऊर्जा प्रबंधकों" शब्दों के स्थान पर "ऊर्जा संपरीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों" शब्द रखे जाएंगे।

अनुसूची का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की अनुसूची के शीर्ष में "अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट" शब्दों का लोप किया जाएगा।

कतिपय अधिनियमिति का संशोधन।

16. इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति उसमें विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी।

## अनुसूची

(धारा 16 देखिए)

## विद्युत अधिनियम, 2003 का संशोधन

(2003 का अधिनियम संख्यांक 36)

धारा 110 का संशोधन।

धारा 110 में "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन" शब्द रखे जाएंगे।

क्रमांक 3055/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLVII संख्यांक 2 में दिनांक 22 मार्च, 2011 को प्रकाशित स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 30) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010

**(2010 का अधिनियम संख्यांक 30)**

**[31 अगस्त, 2010]**

**संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 तथा हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय 1

## प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

## अध्याय 2

## संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 का संशोधन

1890 के अधिनियम संख्यांक 8 की धारा 19 का संशोधन।

2. संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 19 के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) किसी विवाहिता नारी से भिन्न उस अप्राप्तवय के, जिसका पिता या माता जीवित है और न्यायालय की राय में अप्राप्तवय के शरीर का संरक्षक होने के अयोग्य नहीं है; अथवा"।

अध्याय 3

## हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 का संशोधन

धारा 8 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

3. हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— 1956 का 78

हिन्दू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य।

"8. कोई भी हिन्दू नारी, जो स्वस्थचित्त है और अप्राप्तवय नहीं है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है:

परंतु यदि उसका पति जीवित है तो वह अपने पति की सहमति के सिवाय किसी पुत्र या पुत्री को तब तक दत्तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक पति पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुका हो या हिन्दू न रह गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित्त का है।"।

धारा 9 का संशोधन।

4. हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पिता या माता को, यदि जीवित हैं, तो किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक देने का समान अधिकार होगा:

परंतु ऐसे अधिकार का प्रयोग उनमें से किसी एक द्वारा अन्य की सहमति के सिवाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उनमें से एक पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुका हो या हिन्दू न रह गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित्त का/की है।";

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

क्रमांक 3055/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLVII संख्यांक 2 में दिनांक 22 मार्च, 2011 को प्रकाशित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 35) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2010

**(2010 का अधिनियम संख्यांक 35)**

**[8 सितम्बर, 2010]**

**आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

1955 के अधिनियम संख्यांक 10 की धारा 3 का संशोधन।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (3ग) में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा तथा 1 अक्तूबर, 2009 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट "उचित और लाभकारी कीमत", खंड (ख) में निर्दिष्ट "चीनी की विनिर्माण लागत" और खंड (घ) में निर्दिष्ट "लगाई गई पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम" पदों में किसी राज्य सरकार के किसी आदेश या किसी अधिनियमिति के अधीन संदत्त या संदेय कीमत तथा उत्पादक और गन्ना उगाने वाले या गन्ना उगाने वालों की किसी सहकारी समिति के बीच तय की गई कोई कीमत, सम्मिलित नहीं है।'।

क्रमांक 3055/21–अ/वि0स0/2012 भोपाल, दिनांक 15.6.2012

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1 क खण्ड XLVII संख्यांक 2 में दिनांक 22 मार्च, 2011 को प्रकाशित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 41) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2010

**(2010 का अधिनियम संख्यांक 41)**

**[21 सितम्बर, 2010]**

**दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2009 का 5
1974 का 2

धारा 41 का संशोधन।

2. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 5 के प्रारंभ की तारीख से ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 [दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 5 द्वारा यथा संशोधित] की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।"।

धारा 41क का संशोधन।

3. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 6 के प्रारंभ की तारीख से ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41क [दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 6 द्वारा यथा अंत:स्थापित] में,— 2009 का 5 1974 का 2

(क) उपधारा (1) में, "जारी कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जारी करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय, सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है, वहां पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।"।

---

विनोद कुमार भसीन,
सचिव, भारत सरकार।

## भाग ४ (ग)—कुछ नहीं

---

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.